

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 07/2022
and
Original Application No. 12/2022

IN THE MATTER OF:

SUBHASH C. PANDEY

APPLICANT(S)

VERSUS

STATE OF MP & ORS

RESPONDENT(S)

INDEX

S.No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report on behalf of State of Madhya Pradesh by OIC in compliance of order dated 20.10.23		3-17
2.	Copy of the Stay Order dated 22.10.23 in WP 24059/2023	R-1	18-19
3.	Relevant Portions of the Bhopal Development Plan, 2005	R-2	20-22
4.	Copy of the Land Use Plan Map of the Bhopal Development Plan, 2005	R-3	23
5.	Letter dated 05.02.24 of the Tehsildar Nazul, TT Nagar Circle and notices issued to private encroachers	R-4	24-104
6.	SDM letter dated 18.10.23 pertaining to corrections in private encroacher Renu Gundecha	R-5	105-106
7.	Letters dated 03.01.24 to Govt. departments regarding encroachment of government land (colly.)	R-6	107

8.	Copy of the letter dated 27.01.24 by CEO Janpad Panchayat, Bhopal regarding encroachments in Kerwa and copy of the notices issued to encroachers (colly)	R-7	108-126
9.	Google Locations of Water Quality Monitoring Stations at Kaliasot & Kerwa at 5 locations (colly,)	R-8	127-128
10.	Water Quality Reports of November & December 2023 for Kaliasot & Kerwa at 5 locations (colly,)	R-9	129-138
11.	Photographs Taken during Water Sample Collection of the Kaliasot & Kerwa Reservoirs (colly.)	R-10	139-140
12.	Minutes of the meeting dated 08.01.24 in the Chairmanship of Chief Secretary, GoMP	R-11	141-153

Date: 12/02/2024

Place: Bhopal

Respondent No. 1



**Through Counsel
(Prashant M. Harne)**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL

Original Application No. 07/2022

and

Original Application No. 12/2022

IN THE MATTER OF:

SUBHASH C. PANDEY

APPLICANT(S)

VERSUS

STATE OF M.P. & ORS

RESPONDENT(S)

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA
PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 20.10.2023**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HERE IN UNDER :-

1. Issue raised in this application is alleged unauthorized, illegal construction and encroachment on the reservoir land shown as Kaliyasot & Kerwa reservoir in the territorial jurisdiction of District Bhopal (Madhya Pradesh). It is further alleged that in the Bhopal Master Plan of 2005, which is currently in force, the lands and forests around the Kaliyasot Reservoir up to 33 meter from the edge of the Reservoir is to be kept open for Green Belt. That it is further alleged by the Applicant regarding the issue of movement of Tiger and Leopard and other wild animals in the surroundings of the

Reservoir, which is adjacent to the Kerwa area of Bhopal, is a known corridor of Tiger and Leopard, along with many other wild life species. Hundreds of aquatic animals like Ghariyal, Crocodile and Tortoise in the Kaliasot Reservoir are also at risk due to the said activities.

2. It is respectfully submitted that in compliance of the order dated 18.08.23, of this Hon'ble Tribunal, the answering respondent no.1, State of Madhya Pradesh submitted its detailed Action Taken Report on 14.09.23. However the applicant present in person on the last date of hearing dated 20.10.23, casted aspersions on various points of the ATR filed by the answering respondent. Pursuant to that, this Hon'ble tribunal was pleased to order that *“Respondents are directed to submit parawise reply / contention raised by the applicant and to ensure the compliance and removal of encroachment within a time frame according to law”*.
3. That in compliance of the order the parawise reply and the action taken by the respondent no.1 are submitted as under:-

A. Reply to Para 4 : The Bhopal Municipal Corporation (BMC) has submitted the para wise reply to the Hon'ble NGT on 18/10/2023 in which it has been clearly stated through para 5 that BMC has issued final notice on 21/09/2023 under Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956 for removal of the illegal encroachments/constructions wherein it is

explicitly mentioned that the notices were issued in pursuance of the letter dated 09/09/2023 issued by Sub Divisional Officer in furtherance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal meaning thereby that the said notices issued by the answering respondent no.3 to the private land owners is in compliance of the order passed by the Hon'ble Tribunal in the present matter. The BMC had also filed the copies of these 11 final notices with its reply dated 18.10.23 as Annexure R3.

- B. Reply to Para 5:** It is submitted that in the matter of WP 24059/2023 "*Vinit Ajmani Vs. Municipal Corpration & others*", Hon'ble High Court of M.P. at Jabalpur was pleased to pass a stay order dated 22.09.23 on the notice dated 11.09.23 issued by the BMC. A copy of stay order dated 22.09.23 is placed herewith as **Annexure R-1**. The matter has not been listed since then.
- C. Reply to Para 6 (1 to 9) :** The applicant in these paras has raised the issue of reserving 150 hectares of land around establishment of a Botanical Garden and Regional Garden all around the edge of the Kalisote and Kerwa reservoirs as per Clause 2.57 of the Bhopal Development Plan, 2005 in addition to the 33 meter green belt provision from the edge of the reservoir. It is respectfully submitted that Rule no. 2.57 of Bhopal Development Plan 2005 states that, "***A site covering 150***

hectares of land for Botanical garden is earmarked on areas around the Kaliasote and the Kerwa reservoir as a part of regional park.”

Similarly Clause no. 4.47 (A) of Bhopal Development Plan 2005 prescribes provision of open area of 33 meter from the edge of Kaliasot & Kerwa lake. Copy of relevant provisions of the Bhopal Development Plan 2005 are placed herewith as **Annexure R-2**. As per the provisions of Bhopal Development Plan, 2005, 150 hectares of land is to be reserved for the purpose of Botanical Garden / Regional Park in addition to the 33 m green belt from the edge of the reservoir. The overall provision of Botanical Garden / Regional Park land use is provided around the Kaliasot & Kerwa reservoir in the land use map of Bhopal Development Plan 2005. A copy of the map of land use plan envisaged in the Bhopal Development Plan, 2005 is marked and placed herewith as **Annexure R-3**. Further the applicant in Para 6-4 has also raised issue of the encroachments regarding which suitable submissions are being made by the answering respondent in the forthcoming paras.

D. Reply to Para 7 a. & b : The applicant has raised contention about the difference in submergence areas of the reservoirs as reported in the old committee report and the new committee report. The answering respondent submits that the old committee report was based on the

available record at that point of time. While the new report is based on a survey conducted again with GPS. According to the new survey report, the acquired submerged area of the Kaliasote Dam is 529.68 hectares. and Kerwa Dam 462.150 hectares. Similarly as far as the erection of boundary pillars are concerned, it is submitted that in compliance of Hon'ble NGT Order, dated 18.08.23, decision for installation of pillars at Kaliasote and Kerwa reservoirs was taken by the Govt of MP, WRD. Accordingly work of installation of 679 and 1080 pillars at Kaliasote & Kerwa reservoirs respectively, has been completed and report also been submitted.

- E. Reply to Para 7 c:** It is submitted that the new committee found the number of encroachments on the basis of Full Tank Level (FTL) data and map provided by Water Resource Department (WRD). On the basis of FTL data, pillars were erected by WRD after that revenue team measured 33 meter buffer area and correspondingly 96 encroachment/ structures were found in 33 meter buffer area of Kaliasot reservoir and 33 encroachments / structures were found in 33 meter buffer area of Kerwa reservoir.
- F. Reply to Para 7 d:** It is submitted by the answering respondent that out of 1.25 MLD of untreated sewage flowing into the Kaliasote reservoir,

0.60 MLD untreated sewage has been connected with the existing sewerage network by BMC on 30/10/2023. Tender for 2 STPs (tender value of 3 cr) proposed to treat the remaining 0.65 MLD untreated sewerage was issued on 18/09/2023. Due to no bidders in the first call, the second call for the tender was issued on 29/11/2023. The tender was opened on 20/12/2023 and Letter of Acceptance has been issued to the L1 on 02/01/2024. The work is expected to be completed within 3 months from the date of issue of work order. As far as Kerwa reservoir is concerned, it is submitted that 2 Decentralised Wastewater Treatment Systems (DEWAT) of to treat 70 KLD and 35 KLD of sewage are proposed at Mendora village and 10 leach pits and 10 soak pits are proposed at Mendori village. Similarly 3 leach pits at Kushlpura are already present and new soak pits can be constructed as and when the need arises. Rural Engineering Service (RES) has been appointed as the construction agency at Mendora village. Tender process of the work is ongoing, after completion of tender process work will be started, while at Mendori village, sanction of 10 leach pits and 01 DEWATS structure for disposal of grey water has been given from PRD Department. Work is ongoing at site. In Kushalpura village 02 soak pits/end point discharge structures are constructed for systematic disposal of grey water.

G. Reply to Para 8 i. to vii : It is submitted that 12 encroachments were found at Kaliasote on private land but the number of encroachers is only 11 because one encroacher Mrs Seema Mishra is having 2 encroachments i.e. one temple and one dog shed. Therefore the notices were issued by BMC to 11 encroachers. It is further submitted that 84 encroachments were found on government land by 80 private encroachers. The clarification provided by the office of the Tehsildar, Nazul, T.T Circle, Bhopal dated 05.02.24 and the copy of the notices issued is marked and attached herewith as **Annexure R-4 (colly.)**. Further regarding objection raised in para 8-ii by the applicant, it is submitted that the Sub-Divisional Officer, T.T Nagar Bhopal issued a letter dated 18/10/2023 whereby amended the list of encroachments wherein it was clarified that the name of Mrs Padma Dagar is replaced with Renu Gundecha. Letter issued by the SDM dated 18.10.23 is placed herewith and attached as **Annexure R-5.** It was further mentioned in the letter that the confusion aroused due to the large area of the khasra number. Thus the BMC in pursuance of the letter received by the SDM office, issued the notice dated 18.10.2023 to Renu Gundecha under section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956 for removal of the illegal encroachment/constructions carried out without the permission of the

competent authority. All the structure constructed by Renu Gundecha on area 0.015 ha of khasra number 43/1/2 has been demolished by competent authority in accordance with law. It is further submitted that that for encroachments found on government land of village Barkhedikala, Chandanpura, Chhavni , Singhpur and Sewaniya gond, cases were registered under section 248 of MP Land Revenue Code, the village wise revenue case details are as below:

1. Barkhedikala:0001/A-68/23-24
2. Chhavni: 0002/A-68/23-24
3. Chandanpura:0003/A68/23-24
4. Singhpur: 0004/A-68/23-24
5. Sewaniya gond: 0003/A-68-23-24, 0004/A-68/23-24, 0005/A-68/23-24

In addition 2 government structures were found on government land (Govt. nursery chowkidar's room and partial construction of Govt. school) for which Collector Bhopal has written letters on 03.01.24 to concerning departments for removing the said structures, copies of the said letters dated 03.01.24 to the Biodiversity Board & School Education department are attached herewith as **Annexure R-6 (colly)**.

H. Reply to Para 8 viii : The applicant has contended that notices to 5 encroachers impleaded by him at Kalisote, have not been issued. It is

submitted that the factual position regarding issuance / non issuance of notices, person wise is as under:

- a) Mrs. Sapna Singhdev : area 0.050 ha out of total area 0.410 ha of khasra number 2/2/2 of village Chandanpura falls within 33 meters of submerged area of Kaliyasot dam but no permanent structure was found.
- b) Mr. Kumar Raj Yadav :Suresh Yadav S/O Kunwar Raj Yadav of Chhavni village was found encroacher of government land 29/1/1 in area 11250 square feet so his name is included in the list.
- c) Mr. Arun Jatav: Arvind Jatav S/O Arjun Jatav of Chhavni village was found encroacher of government land 29/1/1 in area 11250 square feet so his name is included in the list.
- d) Mr. Rajesh Wadhvani:: area 0.050 ha out of total area 0.570 ha of khasra number 77/1/2/1/1/1/4/2/1 of village Chandanpura falls within 33 meters of submerged area of Kaliyasot dam but no permanent structure was found.
- e) M/S: Omkar recreation prop. Ashish Agrwal and others : 32 degree NE restaurant is constructed on area 0.186 ha of khasra number 59/1/4,60,61 of Khudaganj Village but construction falls outside of 33 meter boundary from submerged area.

It is respectfully submitted that fencing and temporary boundary wall has not been taken as encroachment as it is not a permanent construction.

I. On Kerwa Reservoir Para 9 i. to v. : It is submitted that 18 encroachments (03 Government structures + 15 Private structures) were found on government land of village Mahuakheda, Bhanpur Kekadiya, Berkhedi bajyafat cases were registered were registered under section 248 of MP Land Revenue Code and notices were issued against 18 encroachers. village wise revenue case details are as below:-

1. Mahuakheda: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/अ-68/2023-24
2. Bhanpur kekadiya: 08, 09/अ-68/2023-24
3. Berkhedi bajyafat: 10, 11, 12, 13/अ-68/2023-24

It is further submitted that three Government structures were found on government land- 1) Community Hall in Village Berkhedi bajyafat 2) Govt. satellite school in village Mahuakheda and 3) Power substation in Viallge Mahuakheda/ Chichli. Letters were issued to competent authorities therefore letters and notices were issued for all the 18 encroachments. It is further submitted that 15 encroachments were found on private land of villages Mendora, Bhanpur kekadiya, Berkhedi bajyafat, Fatehpur dobra, & Mahuakheda. Notices to encroachers were issued by concerning gram panchayatas. Copy of the letter dated 27.10.23 of CEO Janpad Panchayat Fanda, district Bhopal and copies of

the notices issued by respective panchayts are marked and attached herewith as **Annexure R-7 (colly)**.

J. On Kerwa Reservoir Para 9 vi : It is contended by the applicant that he has impleaded 6 persons but no one has been included in the new report. It is respectfully submitted that the reasons for not including the persons named by applicant in the list of encroachers are as follows:

a) Dr. Subodh Vashney; Respondent No. 10 : area 0.240 ha out of total area 96.360 ha of khasra number 86 of village Kushalpura falls within 33 meters of submerged area of Kerwa reservoir. There were no permanent structure found of applicant because of that his name was not included in encroachment list.

b) Mr. Umesh Yadav; Respondent No. 11 : area 0.065 ha out of total area 0.510 ha of khasra number 18/1/1, 19 of village Kushalpura falls within 33 meters of submerged area of Kerwa reservoir. There were no permanent structure found of applicant because of that his name was not included in encroachment list.

c) Mr. Neeraj Vijaywargiy; Respondent No. 12 : area 0.095 ha out of total area 0.510 ha of khasra number 18/1/1, 19 of village Kushalpura falls within 33 meters of submerged area of Kerwa reservoir. There were no permanent structure found of applicant because of that his name was not included in encroachment list.

d) Mr. Manish Vyas; Respondent No. 13 : area 0.060 ha out of total area 0.590 ha of khasra number 18/2 of village Kushalpura falls within 33 meters of submerged area of Kerwa reservoir. There were

no permanent structure found of applicant because of that his name was not included in encroachment list.

e) *Mr. Mohammad Ibrahim Khan; Respondent No. 14:* there was no area of applicant found under submerged area.

f) *Mrs. Narayani Beva and others; Respondent No. 15.:* Applicant has sold out her total land area 0.404 ha kh. No. 286/1/1 of village Berkhedhi Bajyafta to buyer Pramod Shrivastava. Pramod Shrivastava's name is already included in encroachers list.

K. Reply regarding water quality monitoring of the Kaliasot & Kerwa

reservoirs Para 10: The applicant has contended that the water quality of the reservoirs is being monitored on selective basis and that too at one single location; the approach of MPPCB is casual and many important parameters are not being tested; there is shoot in the Total Coliform level in certain months at Kerwa Reservoir and the water quality is deteriorating gradually. It is respectfully submitted that no misleading or incomplete report has been submitted in the previous report. Available analysis reports from year 2016-17 were already annexed in the previous report and Water quality has been compared with Designated Best Use of Water Quality Criteria of CPCB. It is submitted that previously the monitoring was not conducted on regular frequency for Kalyasote Reservoir. Now from April 2022 onwards monthly water quality

monitoring of the Kaliyasot reservoir is being performed at one location only. Now 5 Sampling stations are defined at both the water bodies and monthly monitoring is being conducted since November 2023. GPS map of the sampling locations is placed and attached herewith as **Annexure R-8 (colly)**. Pesticide, insecticides, MPN and SAR are also monitored as per need. The water quality analysis reports for the month of November & December 2023 containing analysis of parameters like insecticides & pesticides, SAR and heavy metals is attached as **Annexure R-9 (colly)**. The relevant photographs taken during sampling are also placed and attached herewith as **Annexure R-10 (colly)**. It is further denied that the water quality of the reservoirs is deteriorating. The average water quality lies between A and B category. Rise in the MPN level at a few occasions in Kerwa Reservoir as pointed out by the applicant is likely to improve once the treatment systems proposed at villages Mendori, Mendora and Kushalpura are established. Thus the contention of the applicant regarding deteriorating water quality specifically at Kerwa reservoir have no substantial ground.

- L. It is further submitted that to review the progress of the action taken by the different departments in compliance of the Hon'ble NGT order dated 20.10.23, a high level meeting of the officers was convened on

08.01.2024 under the chairmanship of the Chief Secretary GoMP. Various departments presented their progress before the Chief Secretary who took stock of the actions taken by all the departments and instructed that speedy action as per the orders of Hon. NGT be undertaken by the concerned departments. Removal of encroachment within the given time frame as per law be ensured. The minutes of the meeting dated 08.01.24 are placed and annexed herewith as **Annexure R-11.**

M. An affidavit in support of the report is filed herewith.

Date: 12/02/2024

Place: Bhopal

Respondent No. 1



**Through Counsel
(Prashant M. Harne)**



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

Original Application No. 07/2022

and

Original Application No. 12/2022

IN THE MATTER OF:

Subhash C. Pandey

Applicant(S)

Versus

State Of Mp&Ors

Respondent(S)

AFFIDAVIT

I, **Hemant Kumar Sharma, S/o Shri M.H. Sharma**, and Officer-in-Charge, office at Director (Tech), M.P. Pollution Control Bhopal, do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge on behalf of State of Madhya Pradesh in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing a Action Taken Report in the aforementioned matter before this Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct to the best of my knowledge.
3. That the contents of the Action Taken Report are true and correct to the best of my knowledge and no material fact is concealed or suppressed.

[Signature]

DEPONENT

VERIFICATION

I the above-named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct.

श्री **Hemant Kumar Sharma**

राज्य श्री **Madhya Pradesh**

मेवासी **M.P. Pollution Control Bhopal**

के आज दिनांक **12** Day of February, 2024 at Bhopal (MP)

को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की जा

श्री **Prateek Handa**

शपथ ग्रहण को

[Signature]

DEPONENT

शपथ ग्रहण के बाद
प्रमाणित किया जाता है कि शपथ
ग्रहण को मेरे समक्ष शपथ पत्र सुनाया
जाया गया उसे सही मानकर
शपथ ग्रहण मेरे समक्ष अंकित

[Signature]

IDENTIFY BY ME

श्रीमती **किरण उपाध्याय**

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CHN
dnks - 85gm - ph2	40851/2023	22-09-2023	24	Private	LAW003022092023M11505
Valid along with certificate of the authorized officer					

ANNEXURE R-1

1
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

WP No. 24059 of 2023

(VNIT AJMANI Vs MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)

Dated : 22-09-2023

*Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kaheer Paul -
Advocate for the petitioner.*

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

Certified Copy Key	App. No.	Delivery Date	Amount (Rs/-)	Purpose	CRN
dnks - 85gm - ph2f	40851/2023	22-09-2023	24	Private	LAW003022092023011505

Valid along with certificate of the authorized officer.



2

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

By way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with other connected cases in the week commencing 16.10.2023.

Certified Copy Today.


**(SANJAY DWIVEDI)
JUDGE**

Devashish

ANNEURE R-2

Bhopal
Development Plan
2005

Published under the provisions of
the M. P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973



DIRECTORATE OF TOWN & COUNTRY PLANNING

MADHYA PRADESH

2.56 The natural resource base and unique natural land forms offers great opportunity for development of recreational activities both at city level as well as regional level, enhancing the tourist potential of the city based on recreational potentials the city offers. The basic frame work of the landscape proposals as envisaged in the first plan is of great relevance even today. As not much investment have been made on the lives of recreational areas proposed in the BDP 1991. It is considered appropriate to maintain proposal in respect of recreational area as reproduced below :—

Botanical Garden

2.57 A site covering 150 hectares of land for Botanical garden is earmarked on areas around the Kaliasote and the Kerwa reservoir as a part of regional park.

Zoological Park

2.58 Zoological park is already established to exploit its tourist potential.

Fish Farm

2.59 The existing site of Fish Farm near Bhadhbhada is propose to be expanded to cover an area of 50 hectares. The area around the large ponds is earmarked for planning and the ponds will provide facilities for boating to children.

Picnic Spots

2.60 Th existing important picnic spots viz. Birla Temple Complex, Hathaikheda, Lalghati, Gufa Temple Complex, Bhadhbhada and Kerwa, Kaliasote, Laharpur, Bhojpur, BhimBetica, Islam Nagar, and Ajnal are proposed to be improved and developed. Valley and hill development spots will also serve as picnic spots.

City Parks

2.61 There are three city level parks located viz. Yadgare Shahjahani (near Lady Hospital), Kamla Park Complex (covering Kamla Park, Kilol Childern Park) a Neelam Park (abida) on the bank of lower lake. Mayur park complex (Mayur Park, Deer Park, 74 Bungalows Park) could also function as city park. Bada Bagh can be developed as city park. The expansion and development of these parks is proposed in the plan.

City Forest

2.62 The environs of metro Bhopal offers great scope for development of city forest. The major locations are Bhojpur areas north of Hathaikheda, Singarcholi are around Kaliasote and Kerwa occupying four corners of the city.

Govt. Semi-public and private Offices and business houses.	One car parking space per : 100 Sqm. of builtup area.
Cinema Halls	One car parking space per : 150 seats.
	Scooter : one per 20 seats
	Bicycle : one per 12 seats
Educational	One car parking space per : 200 Sqm. of floor area upto first 1000 Sqm. of Built space 100 Sqm. of floor area above 1000 Sqm. of built space Other vehicles : Additional 100 percent.
Nursing Homes Hospitals	One car parking space per : 75 Sqm. floor area in private units. 150 Sqm. floor area in the Govt. units. One ambulance space of 10m x 4m in hospitals with more than 100 beds.

Regulations for Sensitive zones

4.47 Developmental activities within the sensitive zones shall confirm to the regulations given here under.

A. Minimum 50 meters space will be kept open from the edge of upper lake. In respect of other lake it is prescribed that 33 metres space from the lake edge shall be kept open. Lakes covered in this category are-

Kaliasote
Shahpura 3rd lake (unbunded lake edge)
Kerwa
Hatai Kheda
Laharpur and
Lower lake.

B. 33 metres of space from both edges of Kaliasote river shall be kept open for plantation.

कार्यालय तहसीलदार, नजूल टी टी नगर वृत्त, भोपाल

भोपाल, दिनांक 05.02.2024

क्रमांक / तह / टीटीनगर / 2024

प्रति,

Annexure R-4

क्षेत्रीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल

विषय:- कलियासोत जलाशय के एफटीएल एवं एफटीएल के 33 मीटर के दायरे में अतिक्रमण बाबत।

संदर्भ- आपका पत्र क्र 183/भोका/प्रनिबो/2024, भोपाल दिनांक 21.01.2024

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से एफटीएल एवं एफटीएल के 33 मीटर के दायरे में अतिक्रमण कुल 96 अतिक्रमण जिसमें 84 शासकीय 12 निजी भूमि पर अतिक्रमण/निर्माण पाए गये संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:-

1. निजी भूमि पर 11 भूमि स्वामियों द्वारा 12 निर्माण किये गये हैं, 01 भूमि स्वामी श्रीमती सीमा मिश्रा पत्नी नर्बदा प्रसाद की भूमि खसरा नंबर 41/3/1/9 रकबा 0.105 पर 02 निर्माण कुत्तो के लिये शेड एवं मंदिर बना है इस कारण 11 निजी भूमि स्वामियों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गये।

2. एफटीएल एवं एफटीएल के 33 मीटर के दायरे में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण/निर्माण संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	एफटीएल के 33 मीटर के दायरे में आने वाला रकबा	किये गये निर्माण का विवरण	अतिक्रमण / निर्माण की संख्या
1	बरखेड़ी खुर्द	35/1	5.512	0.202	पक्का मकान- 01, मंदिर -1, गौशाला-1, झुगियाँ - 8	11
2	चंदनपुरा	33/1	1.781	0.007	मंदिर - 1	01
3	छावनी	29/1/1	47.542	0.202	डेरी-2	02
4	सिंगपुर	21/2	7.187	0.210	डेरी-7	07
5	सिंगपुर	20/1/2	4.829	0.202	झुगिया-12	12
6	दामखेडा	8	4.770	0.004	मंदिर-1	01
7	सेवनिया गौड	122/1	4.012	0.303	झुग्गी-37 शासकीय स्कूल एवं जैव विविधता शेड	39
8	सेवनिया गौड	133	0.251	0.040	मंदिर-2	2
9	सेवनिया गौड	115	12.238	0.008	मंदिर-1 झुग्गी-1	2
10	सेवनिया गौड	128	9.483	0.202	डेरी-6	06
11	सेवनिया गौड	114	13.2290	0.002	समाधी	01
शासकीय भूमि पर कुल अतिक्रमण/निर्माण						84

इस प्रकार निजी भूमि पर कुल 11 भूमि स्वामियों द्वारा एफटीएल एवं एफटीएल के 33 मीटर के दायरे में 12 अतिक्रमण/निर्माण किया है तथा शासकीय भूमि पर 80 व्यक्तियों द्वारा 84 अतिक्रमण/निर्माण किया गया है।

उपरोक्तानुसार चाही गई जानकारी प्रेषित है।

Kaunay
तहसीलदार
नजूल टी टी नगर
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 247 तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0001 / अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

भोला महाराज
निवासी-वरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय :- ग्राम वरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम वरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 21500 वर्गफुट पर आपके द्वारा कल्याणी गौशाला, पक्का मकान एवं मंदिर बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार

राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,

अपर तहसीलदार,

राज. परि. टी.टी. नगर वृत्त,

भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 247/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

स।प्र.क्र. 0001/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

सौरभ पुत्र रामसिंह
निवासी-वरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय :- ग्राम वरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम वरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 500 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार

राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,

अपर तहसीलदार,

राज. परि. टी.टी. नगर वृत्त,

भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 247/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11 /09/2023

रा0प्र0क्र00501.../अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

दीपक पुत्र मदनलाल,
कलाबाई पत्नी मदनलाल
निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय :- ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 1500 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक...18../09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।


तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
अपर तहसीलदार,
राज. परि. टी.टी. नगर वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 247/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 0001/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

अज्जूबाई पत्नी पप्पू
निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय :- ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 225 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार

आम्र. तहसीलदार, नगर वृत्त,
राज. परि. टी.टी. भोपाल वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 247/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 0001/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

राजेश पुत्र रामसिंह
निवासी-वरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय :- ग्राम वरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम वरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 100 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।


तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
सज. धार. टी.टी. नगर वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक १५७/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा10प्र0क्र0 0001/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

ग्यान सिंह पुत्र मांगीलाल
निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय :- ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 100 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
अपर तहसीलदार,
राज. परि. टी.टी. नगर वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 297/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

राजप्रक्र0 ...000.../अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र

(राजप्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

मून्नी पुत्री राकेश

निवासी-वरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय :- ग्राम वरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम वरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 100 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार

राज.परि. तहसीलदार वृत्त,
राज. परि. टी.टी.नगर वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 247/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 000/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

आशा विश्वकर्मा पत्नी मुकेश
निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय :- ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 225 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार

राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राज. परि. टी.टी. भोपाल वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 247 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0601 / अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

भोजराज पुत्र प्रेमलाल
निवासी-बरखेड़ीखुर्द भोपाल

विषय :- ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम बरखेड़ीखुर्द तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 35/1 रकबा 100 वर्गफुट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार

राज. परि. टी.टी.नगर वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/2023-24

प्रति,

श्री. अध्वेश प्रसाद जाटव
S/O किशन लाल
निवासी - शिवरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन गुद्रा से ज.री किया गया।



Kanuu
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/31-68/23-24

प्रति,

श्री. जगजीवन s/o
चिरीजीलाल
निवासी. शावरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम रिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/12 क्षेत्रफल 4.8290 हे. एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएँ। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन गुद्रा से ज.री किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-26

प्रति,

श्री अनिल यादव s/o
गुलाब यादव
निवासी, शाहरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा
प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि
खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे०
एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी
कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत
आधिकृतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावें। अपना उत्तर मय
दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही
की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी,
जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी
किया गया।



Kanuu
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
तहसीलदार भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति.

श्री. पवन हेमन्त
पुत्रगण - श्री फूल सिंह यादव
निवासी - शबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खरारा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अशेषकृतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।



Kanuy
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
तहसील वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. जितेन्द्र यादव &/o मुन्शी यादव
उदय भानु यादव &/o देवनाथ
निवासी - शाकरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. शाजेश साह
पुत्र - शाम सिंह
निवासी - शबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर नय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति.

श्री. गुप्ता

निवासी - शाहरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खरारा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 2.00 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकांश अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर नव दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kanhu
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 / अ-68 / 23-24

प्रति,

श्रीनिधा शर्मा W/O

राधेश

निवासी - शिवरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा
प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि
खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे०
एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुंझी
कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत
अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय
दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही
की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री
किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री बन्ने सिंह - 5/0
तुल्य राम अहिश्वर
निवासी - शबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा
प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि
खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे०
एकड़/वर्गफुट में से 300 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी
कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत
अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय
दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही
की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन गुद्रा से ज.री
किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.सी.ल.द. भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/ 23-24

प्रति,

श्री. दीनदयाल विश्वकर्मा
आ. वा. लाल
नि. शावरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंहापुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 225 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत आधिकारतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दरखावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।



Kanuy
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. सरिता पाटीदार W/O
महेन्द्र
निवासी - शाहरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/12 क्षेत्रफल 4.8296 हे० एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन गुद्रा से ज.री किया गया।



Kaavy
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. धर्मनन्द वाकरिया
आ० - धनपाल
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंहापुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/3 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 600 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन गुद्रा से जारी किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
तहसीलदार
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. विनोद भारकर
आ. श. वि. भारकर
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 200 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावें। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kaush
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 / अ-68 / 23-24

प्रति,

भुस्कान सिंह W/O
अर्पित सिंह
निवासी, शावरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंहपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 300 एकड़/वर्गफुट भूमि पर झुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दरस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जं.सी किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. कभल पुत्र बाबू लाल यादव
प्रेमनाशायण आ. सनमान सिंह यादव
अभिषेक पुत्र - सुभाष वर्मा

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. चैन सिंह आठक पुत्र
श्री. मन्नु लाल
नि. - शाहरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 300 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।



Kanuu
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/अ-68/23-24

प्रति,

श्री. का. लू. पु. क. म. ल. सिंह यादव
निवासी - शाबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 32.30 एकड़/वर्गफुट में से 32.30 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
तहसीलदार वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004/31-68/23-24

प्रति,

श्री. राजेश पुत्र भगवान सिंह डाकड़
रिक्त W/O संतोष डा

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम रिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 400 एकड़/वर्गफुट भूमि पर अवेध झुग्गी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यो न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर नय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करे।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।



Kaun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

प्रति.

राजस्व प्रकरण क्रमांक /अ-68/

श्री. स्वामी पास 3/0
राजेंद्र पास
निवासी - शबरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम सिंगपुर की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 20/1/2 क्षेत्रफल 4.8290 हे० एकड़/वर्गफुट में से 3230 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन गुद्रा से ज.री किया गया।



Kaavy
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0002/अ-68/23-24

प्रति

श्री. अशु विन्दु आठव
आ. - श्री अशुन आठव
निवासी - शावरी नगर छावनी भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम छावनी की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 29/1/1 क्षेत्रफल 47-5220 ई. एकड़/वर्गफुट में से 11250 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। अपना उत्तर मय वस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kanhu
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
राजधानी परियोजना भोपाल
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0002/अ-88/23-24

प्रति,

श्री. सुरेश यादव
आठ. कुवर शाह यादव
निवासी. शावरी नगर भोपाल

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम धावनी की शासकीय भूमि खरारा क्रमांक 29/1/1 क्षेत्रफल 47.5220 एकड़/वर्गफुट में से 11258 एकड़/वर्गफुट भूमि पर डेयरी कार्य कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएं। अपना उत्तर मय दरसावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से ज.री किया गया।



Kaavy
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
शेड क्रमांक 6, 12 दफ्तर, जवाहर चौक, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक - 0007/1-68 / 2023-24

प्रति.

✓ श्री. देवेन्द्र तिवारी पिता.
श्री. रामनाशयण तिवारी
निवासी ज. 5 अलीशा विहार
① मार्ट के सामने कोलाड रोड भोपाल
// कारण बताओ सूचना पत्र //

(अंतर्गत म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1))

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा ग्राम चन्दनपुरा की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 33/1 क्षेत्रफल 1.781 हे० एकड़/वर्गफुट में से 0.007 हे० एकड़/वर्गफुट भूमि पर हनुमान मन्दिर बना कर अतिक्रमण किया है।

अतः क्यों न म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। अपना उत्तर मय दस्तावेजों सहित पेशी दिनांक 18/09/23 को 11:00 बजे प्रस्तुत करें।

निर्धारित तिथि पर कोई उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर बेदखल किये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसमें होने वाले व्यय की वसूली आपसे की जावेगी।

आज दिनांक 11/09/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।



Kavya
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 70 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प0क्र0 0005 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओ सूचना पत्र //
(गो.सू.रा.सं. 248 के तहत)

प्रति,

श्री रमेश मेहरा, (फारेस्ट चौकीदार)

निवासी- सेवनिया गौड़- भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 115 कुल रकबा 12.238 हेक्टेयर में से 0.004 हे. पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 115 कुल रकबा 12.238 हेक्टेयर में से 0.004 हे. पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 11/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
राज.परि. तहसीलदार वृत्त
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 70 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा10प्र0प्र0 0005 / अ-68 / 2023 - 24

कारण बताओं सूचना पत्र / /
(भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

पुजारी / शिवमंदिर

निवासी- सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खखसरा क्रमांक 115 कुल रकबा 12.238 हेक्टेयर में से 0.004 हे. पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयमांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खखसरा क्रमांक 115 कुल रकबा 12.238 हेक्टेयर में से 0.004 हे. पर आपके द्वारा शिव मंदिर बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kaushy
तहसीलदार
राजधानी परियोजना वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 70 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0005 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(गोप्य भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

महंत श्री महेश भारती

निवासी- सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 114 कुल रकबा 13.229 हेक्टेयर मे से 0.002 हे. पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयवर्तित ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 114 कुल रकबा 13.229 हेक्टेयर मे से 0.002 हे.पर आपके द्वारा समाधि बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही ग.प्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 11/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जायेगी।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 69 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र00003... / अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(रा0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री गुंडू यादव
निवासी-.....सेवनिया गौड़.....भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर में से रकबा 3750..... वर्गफिट पर आपके द्वारा डेयरी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kumar
तहसीलदार
राज.परि. तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी⁶⁰ परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 69 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 01 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र00003 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

~~श्री बृजकिशोर उपाध्याय झाठ राम अंधार~~

निवासी-~~सेवनिया गौड़~~.....भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर में से रकबा 3750 वर्गफिट पर आपके द्वारा डेयरी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक...18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Komay
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 69 / तह. / राज.परि / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र00003 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री धारोष मिश्रा
निवासी- सेवनिया गौड़, भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर में से रकबा 3750 वर्गफिट पर आपके द्वारा डेयरी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 11/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Handwritten signature: *Kanuu*
तहसीलदार
राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 69/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र00003.../अ-68/2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(रा0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री सुरेश उपाध्याय डा. रामअधर
निवासी-सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर में से रकबा 3.750 वर्गफिट पर आपके द्वारा डेयरी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
राज.परि. तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 69 /तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11 /09/2023

रा0प्र0क्र00003 /अ-68 /2023-24

//कारण बताओं सूचना पत्र//

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री जमील खान

निवासी-.....सेवनिया गौड़.....भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर में से रकबा 37.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा डेयरी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kaavy
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 69 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र00003.../अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री वीरेन्द्र यादव

निवासी-सेवनिया गौड़.....भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 128 कुल रकबा 9.483 हेक्टेयर में से रकबा 3750 वर्गफिट पर आपके द्वारा डेयरी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना,
भोपाल

65
न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज. परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0004 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री पंजा

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 250 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kaushy
तहसीलदार
राज. तहसीलदार
राजधानी परियोजना वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 ...0004.../अ-68/2023-24

//कारण बताओं सूचना पत्र//

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्रीमती जमनाकाई पीताजी शिरोधर

निवासी- ~~ग्राम~~ सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanay
तहसीलदार
राज.परि टी.टी.
तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 00004/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्रीमती केलाली पीतल शोभारण

निवासी- गाँव - सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 ...0004/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(भ0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. सुल्शन यादव

निवासी-ग्राम - सेवनिगा गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिगा गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिगा गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राज.सह.सी.ल.द.म.भ. वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 ...0004/अ-68/2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(भोपल भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. राजेश्वर

निवासी- ग्राम - सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही न.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Handwritten signature: *Kanuu*
 तहसीलदार
 राजधानी परियोजना वृत्त,
 राजधानी परियोजना
 भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 ...0004/अ-68/2023-24

//कारण बताओं सूचना पत्र//
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. मोहन प्रसाद श्री चन्नालाल

निवासी-ग्राम-सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



वहसीलदार
राज.परि.सू.दा.
राजधानी परियोजना वृत्त,
भोपाल
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 0004/अ-68/2023-24

//कारण बताओं सूचना पत्र//

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. राजेश पुत्र श्री. भेरूलाल राठौर

निवासी- बारा - सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.00 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kaush
तहसीलदार
राजधानी नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 ...00.021. / अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री पुष्पा लक्ष्मी सुप्रसन्नलाल

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.00 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 11 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
राज. वहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

स०प्र०क्र० ०००५ / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //
(म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्रीमती गंगाबाई पीता इयालाल

निवासी-... कान्हा सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
राज.परि. तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 ... 0004 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //
(भ0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्रीमती विमला पीता रेड जी

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
राज.प.तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 ...0004/अ-68/2023-24

//कारण बताओं सूचना पत्र//

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री सुरेश पुत्र श्री सिद्ध

निवासी-ग्राम - सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक...18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Handwritten signature: Kavya
 तहसीलदार
 राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र00004/अ-68/2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. लखीर खान पुत्र श्री. कदर खान

निवासी- सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 11/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार
राजधानी परियोजना वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल
क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023 भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र00.004 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्रीमती वसुधा पीठूरी श्री विद्या

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 300 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kaun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी. नगर वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

राजप्र0क्र00000/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री सुनील पुत्र दिलीप

निवासी-.....ग्राम सेवनिया गौड़.....भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा450..... वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक.....18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanay
तहसीलदार
राज.परि.तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 / अ-68 / 2023-

कारण बताओं सूचना पत्र

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्रीमती अनीता पीता श्री धनीराम

निवासी- गाँव - सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 16 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanhu
तहसीलदार
राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र00004/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

सिम्हरज

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanhu
तहसीलदार
राजधानी नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज. परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र00004 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्रीमती हशिया ना पीला इनायत कुंशी

निवासी- ग्राम - सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा4.50..... वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक...18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



[Signature]
तहसीलदार
राज. परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 00021 / अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(रा0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री विजया शर्मा

निवासी-~~ग्राम~~ सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kaushy
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
टी.टी. नगर वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0004 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री माखन पुत्र श्री गोरेलाल

निवासी-...ग्राम...सेवनियागौड़...भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र000004 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओ सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री तेजराज पत्र श्री अंवरलाल

निवासी- ग्राम- सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanay
तहसीलदार
राज.पतिहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र00004../अ-68/2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //
(गोप्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. सुखीराम मरवा

निवासी-...ग्राम- सेवनिया गौड़... भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक...18./09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
राज.पार. तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0004 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. मुकेश बंजारा

निवासी- ग्राम - सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kaun
तहसीलदार
राज.परि. तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 /तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11 /09/2023

रा0प्र0क्र00004/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

.....सुजात.....

निवासी-.....ग्राम - सेवनिया गौड़.....भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा100..... वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक...11/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

//कारण बताओं सूचना पत्र//

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री दिनेश पुत्र श्री दिलीप

निवासी-ग्राम-सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 /तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11 /09/2023

रा0प्र0क्र0 2004 /अ-68/2023-24

//कारण बताओं सूचना पत्र//

(म0प्र0 नू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री विक्रम प्रसाद श्री दिलीप

निवासी-ग्राम - सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार
राज.परि. तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0004 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. लालु सिरोनिया फा. श्री. दुर्लेश्वर

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 1.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Handwritten signature: *Kanay*
तहसीलदार
राज.परि. तहसीलदार वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0002 / अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र

(भ0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. मोहन श्याम आ. श्री. अश्वय सिंह

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़, भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 ...0000... / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री शैलेन्द्र तेजस प्रसन्न राजकुमार

निवासी-ग्राम-सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
तहसीलदार
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 ...0004.../अ-68/2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. मनोज तेकरा

निवासी-ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Handwritten signature
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0004 / अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. दशरथ पत्र श्री. बाबुलाल

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 4.50 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राज. सहा. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 0004 / अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री श्रीराम पुत्र बन्देश्वर

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 37.5 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राजधानी परियोजना वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 /तह./राज.परि. /2023

भोपाल दिनांक 11 /09/2023

रा0प्र0क्र0 ...0.0.0.1./अ-68/2023-24

//कारण बताओं सूचना पत्र//

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री सुरेश झा

निवासी- ब्राह्म सेवनिगा गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा ...96... वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक...18./09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68/तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

रा0प्र0क्र0 0004/अ-68/2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री धरमपाल पुत्र कृपिसिंह

निवासी-...गाँव-सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 1080 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक...18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 /तह./राज.परि./2023

भोपाल दिनांक 11 /09/2023

रा0प्र0क्र0 ...0004/अ-68/2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्रीमती शबाना पीता वहीद

निवासी-ग्राम-सेवनिया गौड़-भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



[Signature]
तहसीलदार
राजधानी भद्रकाली परियोजना वृत्त,
राजधानी भद्रकाली परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी⁹⁹ परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 ..0004... / अ-68 / 2023-24

कारण बताओं सूचना पत्र
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. जनेसिंह पुत्र शंकराश्रम

निवासी- ~~ग्राम~~ सेवनीया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनीया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनीया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Handwritten signature: K. J. J.
तहसीलदार
राजधानी परियोजना वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 ...0004 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री. मन्मथ प्रसाद सिन्हा

निवासी- ग्राम सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 450 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक वेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी 101 परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 68 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा0प्र0क्र0 ...0.00.4 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

श्री आशाशुभ पुत्र श्री तुलाराम

निवासी-ग्राम - सेवनिया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषययांतर्गत ग्राम सेवनिया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 122/1 कुल रकबा 4.012 हेक्टेयर में से रकबा 960 वर्गफिट पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



तहसीलदार
राज.परि. टी.टी. नगर वृत्त,
राजधानी परियोजना
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

कमांक 70 / तह. / राज.परि / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा10प्र0क्र0 ...0005... / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(म0प0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

..... महंत जी. महेश भारती

निवासी-..... ग्राम सेवनिया गौड भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनिया गौड तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 133 कुल रकबा 0.251 हेक्टेयर मे से 0.020 हे. पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनिया गौड तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 133 कुल रकबा 0.251 हेक्टेयर मे से 0.020 हे पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक...18/09/2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanuu
तहसीलदार
राजधानी परियोजना वृत्त,
भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल

क्रमांक 70 / तह. / राज.परि. / 2023

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

रा10प्र0क्र0 0005 / अ-68 / 2023-24

// कारण बताओं सूचना पत्र //

(रा10प्र0 गू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत)

प्रति,

महंत श्री महेश भारती

निवासी- ग्राम सेवनीया गौड़ भोपाल

विषय :- ग्राम सेवनीया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 133 कुल रकबा 0.251 हेक्टेयर में से 0.020 हे. पर अतिक्रमण के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम सेवनीया गौड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 133 कुल रकबा 0.251 हेक्टेयर में से 0.020 हे पर आपके द्वारा झुग्गी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही म.प्र गू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत की जा रही है।

दिनांक 18 / 09 / 2023 से पूर्व उक्त शासकीय भूमि से कब्जा हटाया जाकर सूचित करें, कब्जा नहीं हटाये जाने की दशा में बलपूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।



Kanun
तहसीलदार
राज.परि. राजधानी परियोजना
भोपाल वृत्त

कार्यालय नायब तहसीलदार बैरागढ चीचली वृत्त तहसील कोलार
जिला भोपाल

क्रमांक 616 / ना. तह.को / 2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

सूचना पत्र
अंतर्गत धारा 248 म.प्र.भू राजस्व संहिता

प्रति,

मंदिर प्रबंधक
ग्राम दामखेडा कोलार भोपाल

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम दामखेडा स्थित खसरा नंबर 8 रकवा 4.770 हे० में से 0.004 हे० भूमि जो की कलियासोत एफ.टी.एल. से 33 मीटर आने वाले रकवा में मंदिर का निर्माण पाया गया है। अतएव आप एफ.टी.एल. सीमा में आने वाले मंदिर का निर्माण स्वयं दो दिवस के भीतर हटवा ले। आपके द्वारा उक्त निर्माण न हटाये जाने की दशा में उक्त निर्माण हटवाये जाने की कार्यवाही संपादित कराई जावेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

तहसीलदार
प्रहसीलदार
तहसील कोलार जिला
नह.कोलार, जिला भोपाल

पृष्ठा क्रं. 617 / ना. तह.को / 2023

भोपाल दिनांक 11/09/2023

प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील कोलार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री आलोक भद्र, राजस्व निरीक्षक की ओर भेजकर की एफ.टी.एल. सीमा में आने वाले मंदिर निर्माण को न हटाये जाने की दशा में निर्माण हटवाया जाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार
तहसीलदार
तहसील कोलार जिला
नह.कोलार, जिला भोपाल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, नज़ूल टी टी, नगर वृत्त, भोपाल
क्रमांक 571/अविअ/टीटीनगर/2023

प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/10/2023

आयुक्त महोदय,
नगर पालिक निगम
भोपाल

विषय:- कलियासोत जलाशय के एफ टी एल एवं एफ टी एल के 33 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण/निर्माण की जानकारी प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 532/अ.वि.अ./टीटीनगर/2023, दिनांक 09.09.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से कलियासोत जलाशय के एफ टी एल एवं एफ टी एल के 33 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण/निर्माण की जानकारी प्रेषित की गई थी। उक्त के संबंध में निवेदन है कि संदर्भित पत्र के साथ संलग्न सूची में क्रमांक 1 पर ग्राम बरखेड़ीकला स्थित भूमि खसरा नंबर 41/3/1/4 रकबा 0.158 हेक्टेयर के स्वत्वधारी श्रीमती पदमा डागर पत्नी उस्ताद जिया उद्दीन डागर निवासी भोपाल, का 0.050 हेक्टेयर में कलियासोत जलाशय के एफ टी एल के 33 मीटर के दायरे में निर्माणाधीन भवन एवं वाउन्ड्रीवाल अंकित है।

उक्त के संबंध में राजस्व निरीक्षक बरखेड़ीकला द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 41 में अत्यधिक बटा नंबर होने एवं नक्शे में बटान नहीं होने से त्रुटिग्रस्त श्रीमती पदमा डागर पत्नी उस्ताद जिया उद्दीन डागर निवासी भोपाल का नाम लिखा गया था जबकि उक्त स्थल पर श्रीमती रेणू गुंदेचा पत्नि रमाकांत गुंदेचा वगैरा निवासी भोपाल की भूमि खसरा नंबर 41/3/22 रकबा 0.105 हेक्टेयर पर निर्माणाधीन भवन है। अतः श्रीमती पदमा डागर पत्नी उस्ताद जिया उद्दीन डागर निवासी भोपाल के स्थान पर श्रीमती रेणू गुंदेचा पत्नि रमाकांत गुंदेचा वगैरा निवासी भोपाल की भूमि खसरा नंबर 41/3/22 रकबा 0.105 हेक्टेयर पढ़ा जावे।

सादर प्रेषित।


अनुविभागीय अधिकारी

टी टी नगर, भोपाल

A.E.
Subrup and
over
18/10/2023

18/10/2023

SB-Zone 21

18/10/2023

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल (म.प्र.)

क्र.629/अ.वि.अ./ टी टी.नगर/ 2024

भोपाल दिनांक 03.01.2024

प्रति,

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन भोपाल

विषय:-ग्राम सेवनिया गौड स्थित शासकीय खसरा नंबर 122/1 के अंश भाग पर शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरज नगर भोपाल को स्थानांतरित करने बावत।

संदर्भ:-माननीय एन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए.क्रमांक-07/2022 एवं ओ. ए. क्रमांक-12/2022 के आदेश दिनांक 15.07.2022 एवं मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 818/1535051/2023/66-1, भोपाल दिनांक 21/08/2023

—00—

उपरोक्त विध्यांतर्गत सदभित पत्र का अवलोकन हो। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए.क्रमांक-07/2022 एवं ओ.ए. क्रमांक-12/2022 के आदेश दिनांक 15.07.2022 एवं मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 818/1535051/2023/66-1, भोपाल दिनांक 21/08/2023 के पालन में कलियासोत जलाशय के एफ टी एल एवं एफ टी एल से 33 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण/निर्माण कार्य को चिन्हित कर विस्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

ग्राम सेवनिया गौड स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 122/1 के अंश भाग पर स्थित शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरज नगर भोपाल एफ टी एल से 33 मीटर के दायरे में स्थित है।

अतः अनुरोध है कि शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरज नगर का अंश भाग जो कि ग्राम सेवनिया गौड का खसरा नंबर 122/1 के अंश भाग पर स्थित है अन्यत्र विस्थापित कराने का कष्ट करें, जिससे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को पालन प्रतिवेदन भेजा जा सके।

संलग्न:-ख.नं. 122/1 के अंश भाग का नक्शा।

9/2


कलेक्टर
जिला भोपाल

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल (म.प्र.)

भोपाल दिनांक 03.01.2024

क्र.628/अ.वि.अ./टी.टी.नगर/2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव
म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड
अरेरा हिल्स भोपाल

विषय:-ग्राम सेवनिया गौंड स्थित शासकीय खसरा नंबर 122/1 के अंश भाग पर निर्मित नर्सरी व चौकीदार का कमरा विस्थापित करने बाबत।
संदर्भ:-माननीय एन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए.क्रमांक-07/2022 एवं ओ.ए. क्रमांक-12/2022 के आदेश दिनांक 15.07.2022 एवं मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 818/1535051/2023/66-1. भोपाल दिनांक 21/08/2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए.क्रमांक-07/2022 एवं ओ.ए. क्रमांक-12/2022 के आदेश दिनांक 15.07.2022 एवं मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 818/1535051/2023/66-1, भोपाल दिनांक 21/08/2023 के पालन में कलियासोत जलाशय के एफ टी एल एवं एफ टी एल से 33 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण/निर्माण कार्य को चिन्हित कर विस्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

ग्राम सेवनिया गौंड स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 122/1 के अंश भाग पर स्थित शासकीय भूमि पर निर्मित नर्सरी व चौकीदार का कमरा एफ टी एल से 33 मीटर के दायरे में स्थित है।

अतः अनुरोध है कि ग्राम सेवनिया गौंड स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 122/1 के अंश भाग पर स्थित चौकीदार का कमरा अन्यत्र विस्थापित कराने का कष्ट करें, जिससे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को पालन प्रतिवेदन भेजा जा सके।

संलग्न:-ख.नं. 122/1 के अंश भाग का नक्शा।


कलेक्टर
जिला भोपाल

कार्यालय जनपद पंचायत फांदा, जिला भोपाल, म०प्र०

(पुराना सचिवालय, एच.पी. ऑफिस के पास)

E-mail phandabho@nic.in Tel.No.0755-2545213

क्रमांक/3914./ज.प./पंचा.प्रको./2023/
प्रति

भोपाल दिनांक 27/10/2023

तहसीलदार,
तहसील हुजूर, अनुभाग हुजूर. भोपाल

Annexure R-7

विषय :- केरवा जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) में अनाअधिकृत निर्माण के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल का पत्र क्र. क्यू/प्रवा-3/2023
भोपाल दिनांक 31/08/2023, जनपद कार्यालय में आवक दिनांक 27/10/2023

विषयांतर्गत केरवा जलाशय के जल भराव क्षेत्र के 33 मीटर की परिधि में अतिक्रमणकर्ताओं की सूची (पत्र के साथ संलग्न) अनुसार म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 के प्रावधानों के तहत निजी अतिक्रमणकर्ताओं को ग्राम पंचायत द्वारा सूचना पत्र जारी किये गये हैं। सूची निम्नानुसार है :-


क्र.	ग्राम का नाम	भूमिस्वामी नाम	खसरा नंबर	निजी/ शासकीय	सूचना पत्र तामीली की स्थिति
1	मेंडोरा	अजय सिंह आ.अर्जुन सिंह	226	निजी	कर्मचारी को तामील कराया गया
2	मेंडोरा	अजय सिंह आ.अर्जुन सिंह	232, 234	निजी	कर्मचारी को तामील कराया गया
3	मेंडोरा	राकेश लीला आ. पीसी लीला, निवासी अरेरा कालोनी	235	निजी	चस्पा किया
4	मेंडोरा	शरदकुमार सांघी आ. सोहनलाल सांघी	246/1	निजी	चौकीदार को तामील कराया गया
5	मेंडोरा	राजकिशोर सिंह, अरविंद पुत्रगण जीतेन्द्र सिंह	246/2	निजी	स्वयं को तामील कराया गया
6	मेंडोरा	श्रीमती निशा पी राजानी पत्नि पुरुषोत्तम राजानी	254, 255, 144/2	निजी	चस्पा किया
7	मेंडोरा	अवनि वैश्य आ. एल.पी. वैश्य निवासी मेंडोरी	144/2	निजी	स्वयं को तामील कराया गया
3	भानपुर केंकडिया	मनीष त्रिपाठी आ. सुभाषचन्द त्रिपाठी ग्रीन सिंटी, अरेरा कालोनी	77	निजी	इमरत (बटाईदार) को तामील कराया गया
3	भानपुर केंकडिया	आशीष त्रिपाठी आ. सुभाषचन्द त्रिपाठी ग्रीन सिंटी, अरेरा कालोनी	72/1/2	निजी	इमरत (बटाईदार) को तामील कराया गया
0	भानपुर केंकडिया	आशीष त्रिपाठी आ. सुभाषचन्द	69/2	निजी	इमरत


	त्रिपाटी ग्रीन सिटी, अरेरा कालोनी	109		(बटाईदार) को तामील कराया गया
11	बेरखेडी बाज्याफत	मेसर्स आई.पी.एस. प्रा.लि. डायरेक्टर आलोक नंदा	478	निजी चौकीदार को तामील कराया गया
12	बेरखेडी बाज्याफत	डा. प्रमोद श्रीवास्तव	286 / 1 / 1	निजी चौकीदार को तामील कराया गया
13	फतेहपुर डोबरा	श्रीमती इन्द्रा पत्नि उमाकांत	397	निजी चस्पा किया
14	महुआखेडा	अरुण एल सिंह देव आ.एन. एस. सिंहदेव	3414	निजी चस्पा किया
15	महुआखेडा	आमिर खान पुत्र अब्दुल वहाब	413, 410 / 2 / 1, 411, 412	निजी चौकीदार को तामील कराया गया
16	बेरखेडी बाज्याफत	ग्राम पंचायत	470	शासकीय ग्राम पंचायत को नोटिस तामील कराया गया

उक्त संबंध में पत्र सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पृ.क्रमांक / 2915 / ज.पं. / पंचा.प्रको. / 2023 /
प्रतिलिपि :-

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग हुजूर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फंदा, जिला भोपाल
भोपाल दिनांक 27/10/2023


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फंदा, जिला भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 06 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक 11 / 09 / 2023

प्रति, सूचना-पत्र
श्री अमृत सिंह जी अमृत सिंह

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा ख.सं. 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000 का कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपद्रव्य की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैंटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवाधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।



सचिव

ग्राम पंचायत मैडोरा

भोपाल दिनांक 11/09/2023

ज.पं.फन्दा-भोपाल (न.प्र.)

पृ.क्रमांक / 06 / ग्रा.पंचा. / 2023

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

प्राप्त किया
 अकेले को
 27.10.23



सचिव

ग्राम पंचायत मैडोरा

ग्राम पंचायत मैडोरा

ज.पं.फन्दा-भोपाल (न.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक/०१/ग्रा.पं./2023

दिनांक 11/09/2023

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री. राजेश लीला S/ श्री. पी. सी लीला
निवासी-धरपुर अलोय भोपाल

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एक्ट. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल डैम में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिकोण तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में आदेश क्रमांक/1276/अविअ-3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा **अ. क्र. 235 ख. धा. 0.4.00 हे. 1.00 वर्ग मीटर 30 वर्ष** का कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवाधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।



साचिव
ग्राम पंचायत मेंडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
दिनांक 11/09/2023
ज.प.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/०१/ग्रा.पंचा./2023

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।


दिनांक-26/10/2023

मुख्य धर पर चरपा किया



अभिषेक
अभिषेक





साचिव
ग्राम पंचायत मेंडोरा
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल (म.प्र.)

गोविंद

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / ०२ / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक 11 / 09 / 2023

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री शरद-कुमार-साँवी आरु श्री सोहनलाल-साँवी

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।


संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा क्षेत्र नं० 246 का क्षेत्र 0.17.0 हे० 0.100 हे० में निर्देश-आदेश 167 कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।


साँवी

ग्राम पंचायत मैडोरा

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / ०२ / ग्रा.पं.चा. / 2023

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

कम्म
18.09.23

श्री साँवी को 14/9


साँवी

ग्राम पंचायत मैडोरा

ग्राम पंचायत मैडोरा

ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत मेंडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 03 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक 11 / 09 / 2023

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री राजू-विश्वेश्वर सिंह भाग पीलेरू-सिंह
भरदिव-सिंह

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रदा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा **शुद्ध कु. 246.12 रुबा 20.080 हे० 0.015 हे० 40** का कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।


आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवावधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

पृ. क्रमांक / 03 / ग्रा.पं. / 2023


प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजरव तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।


27-10-23

हैरल में सिपा
हैरल नम्बर 11


सचिव
ग्राम पंचायत मेंडोरा
भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023
ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)


सचिव
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ग्राम पंचायत मेंडोरा
ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 04 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक // 09 / 2023

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री श्री निवा पीठ शहानी - पति
की **उत्तराधिका**

विषय :- कंरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन-आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा कंरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा **खेत 254, 255 खेत 0.0990 हे० 0.010 हे०** कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपद्रवण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 एवं उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवाधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

पृ. क्रमांक / 04 / ग्रा.पं. / 2023

प्रति लिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

दिनांक- 27/10/2023

मुख्य-अर-पर यज्वा
डिया गया



साधिव

ग्राम पंचायत मैडोरा
भोपाल दिनांक 09 / 2023
ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)




साधिव


ग्राम पंचायत मैडोरा
ग्राम पंचायत मैडोरा
ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)











20x80 य
श्री 48 य
25 नि 44
सिधार

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 07 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक 11 / 09 / 2023

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री अश्वनी देवप्रसाद झा जी एनपी नैवेद्य

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंक में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलराज्य की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खेत नं. 144/2 2997 0.100 हे० 0.60 हे० 15X0 मीटर 08 कार्य कर जलराज्य के जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदृष्ट की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयबाधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

[Signature]
सचिव

ग्राम पंचायत मैडोरा
भोपाल दिनांक 11/09/2023
ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 07 / ग्रा.पंचा. / 2023
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

[Signature]
सचिव

ग्राम पंचायत मैडोरा
ग्राम पंचायत मैडोरा
ज.पं.फन्दा-भोपाल (म.प्र.)

11/9/23 मी. दे. झा जी
18/09/2023

*08 मीटर 08
श्री अश्वनी देव
निवासी है
परीक्षा*

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडोरा जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / ०७ / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक ११ / 09 / 2023

सचना-पत्र

प्रति, राजा शर्मा शाह

विषय :- केरवा डेन के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल दंड ने प्रदत्तित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा डेन के सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खेत नं. 144/2 2397 0.100 हे० 0.60 हे० 15X10 मीटर का कार्य कर भलाशय के जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि जल भराव क्षेत्र की सीमा में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैश्वीकरण नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवाधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

पृ.क्रमांक / ०७ / ग्रा.पंचा. / 2023
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

Received,

Rijaz

26/10/23


सचिव
ग्राम पंचायत मैडोरा
भोपाल दिनांक 11/09/2023
ज.पं.कन्दा-भोपाल (म.प्र.)


सचिव
ग्राम पंचायत मैडोरा
भोपाल दिनांक 11/09/2023
ज.पं.कन्दा-भोपाल (म.प्र.)

मीटर 4
21/09/23
निर्माण
परीक्षा

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक / 02 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक / / 09 / 2023

सूचना-पत्र

प्रति,

भानपुरकेकडिया जनपद पंचायत

विषय :-

केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :-

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा 72/1/2, 0.482 हे. (अधिकृत) में कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

Shankhwar
सचिव

ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया
भोपाल दिनांक 10 / 09 / 2023

पू.कमांक / 02 / ग्रा.पं. / 2023
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी सजसव तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

Shankhwar
सचिव

ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया

मन्व/01

सं. 9131758549

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक / 03 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक 11 / 09 / 2023

सूचना-पत्र

प्रति,

आशीष मिश्रा / सुभाष चंद्र मिश्रा

विषय :-

करवा डैम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :-

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा करवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा 69/2, 0.62020, पञ्चम मण्डल, हुजूर कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवाधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

Shankar Prasad

सूचिव
ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया
भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

पू.कमांक / 03 / ग्रा.पं.चा. / 2023
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

Shankar Prasad

सूचिव
ग्राम पंचायत भानपुरकेकडिया
भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

मन्मथ
मो 9131758549

कार्यालय ग्राम पंचायत देरखेडीवाज्याफत जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 01 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक 11/09/2023

सूचना-पत्र

प्रति

मेजर आर्.पी.यत प्रा. लि.

डामोखटा अशोक नंदा पिता अशोक नन्दा

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रका-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खेत-428, खेत-02, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 पानी हाकम बन कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FAL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपद्रव्य की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अनस्था उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मस्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड निवगो को प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्वीकृति पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपका उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

Heu
सायब

ग्राम पंचायत देरखेडी वाज्याफ
ग्राम जंमदाल केरवा डीवाज्याफ
भोपाल दिनांक 11/09/2023

पृ क्रमांक / 01 / ग्रा.पं.चा. / 2023

परिशिष्ट :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजराज तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचना ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचना ।

Heu
सायब

ग्राम पंचायत देरखेडी वाज्याफ
ग्राम जंमदाल केरवा डीवाज्याफ

Heu
सायब
11/09/23
Cwd

कार्यालय ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्यापत जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 02 / प्रा.पं. / 2023

दिनांक 11/09/2023

सूचना-पत्र

प्रति

श्री. प्रमोद श्रीवास्तव

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा बेरखा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (नॉल) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया है। सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा उत्त. नं. 286/1/1 का जल भराव 0.336 हे. 0.60 हे. के क्षेत्र में जल भराव क्षेत्र 15x2 300 वर्ग फीट कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (नॉल) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं टैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में उत्तर नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।



सचिव

ग्राम पंचायत बेरखेडी वाज्यापत
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
दिनांक 11/09/2023

पु.क्रमांक / 02 / प्रा.पं. / 2023

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजख तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनाार्थ ।
2. मुख्य कार्यालय अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनाार्थ ।

Receive
Amish
15/09/23



सचिव

ग्राम पंचायत बेरखेडी वाज्यापत
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

क्रमांक / 28 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक 11 / 09 / 2023

सूचना-पत्र

प्रति,

श्रीमती इन्दु पाणि उमाशान्त

विषय :- ~~फैदपुर देवरा~~ करवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र क्रमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा करवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा ~~खसरा नं: 2014, पक्का मकान 20x25 वर्ग फीट 5000 वर्ग फीट~~ कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवाधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

पृ.क्रमांक / 29 / ग्रा.पं. / 2023
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

012
मनोज
11/09/2023


सचिव
ग्राम पंचायत छापरी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
दिनांक 11/09/2023


सचिव
ग्राम पंचायत छापरी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक / 24 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक 11 / 09 / 2023

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री अरुण एल. सिन्धेव ३।० एम. एस. सिन्धेव

विषय :- करवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक / 665 / अविअ / हुजूर / 2023 भोपाल दिनांक 09 / 09 / 2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक / 1276 / प्रवा-3 / 2023 भोपाल दिनांक 24 / 08 / 2023 से गठित दलों द्वारा करवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा स्वराज 34/4 50x60 छिन्न कक्षान निर्माण कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।



सचिव

ग्राम पंचायत छापरी

भोपाल दिनांक 11 / 09 / 2023

पृ.कमांक / 25 / ग्रा.पंचा. / 2023

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

o/c

मोहन खो

11-09-2023



सचिव

ग्राम पंचायत छापरी

जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत छापरी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक/26 / ग्रा.पं. / 2023

दिनांक 11 / 09 / 2023

सूचना-पत्र

प्रति,

आमिर खान पुत्र अब्दुल खान

विषय :- करवा विधि के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये निजी भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक/1276/प्रवा-3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा करवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (NPL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा **खसरा नं. 413, 410, 121, 411, 412 एकका मकान 400 की फिर** कार्य कर जलाशय के जल भराव क्षेत्र (NPL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।

आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 35 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि वर्यो ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

पु.कमांक/27 / ग्रा.पचा. / 2023

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
3. तहसीलदार-तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

01c
A

11-09-2023

सचिव
ग्राम पंचायत छापरी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
दिनांक 11/09/2023

सचिव
ग्राम पंचायत छापरी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कार्यालय जनपद पंचायत फन्दा भोपाल

कमांक/ /ज.पं./ 2023

दिनांक 12/09/2023

3403

सूचना-पत्र

प्रति,

सरपंच/सचिव

ग्राम पंचायत बेरखेडीवाज्याफत

विषय :- केरवा डेम के एफ.टी.एल. से 33 मीटर की परिधि में किये गये शासकीय भूमि पर निर्माण को हटाने बाबत ।

संदर्भ :- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के पत्र कमांक/665/अविअ/हुजूर/2023 भोपाल दिनांक 09/09/2023

-000-

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में प्रचलित प्रकरणों के दृष्टिगत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश कमांक/1276/प्रवा-3/2023 भोपाल दिनांक 24/08/2023 से गठित दलों द्वारा केरवा जलाशय की सम्पूर्ण परिधि में जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमाक्षेत्र का सीमांकन किया गया । सीमांकन में गठित दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आपके द्वारा खसरा कमांक 470 शासकीय भूमि रकबा 0.400 है. 30X30=900 वर्गफीट सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है । जो कि जलाशय के जल भराव क्षेत्र (FTL) से 33 मीटर के सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है, जो कि लोक अपदूषण की श्रेणी में आता है ।


आपका उक्त कृत्य अप्राधिकृत विकास या विकास योजना के अनुरूप उपयोग से अन्यथा उपयोग होने से म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत भोपाल मास्टर प्लान के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 36 का उल्लंघन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वैटलेण्ड नियमों के प्रतिकूल है । अतः आप उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, कि क्यों ना आपके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 54 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे ।

नियत समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रस्तावित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

पृ.कमांक/ /ज.पं./ 2023

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल
भोपाल दिनांक 12/09/2023



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत फन्दा भोपाल


प्रकृति शांति
13/09/2023
सचिव


ग्राम पंचायत बेरखेडी वाज्याफत
जनपद फन्दा भोपाल

ANNEXURE R-8 (colly.)

ANNEXURE-1

Kaliyasoat Dam Sampling Point
K1- Near Dam Line
K2- Near 13th Gate
K3- Kaliyasoat Dam to Mother Bullfarm Road
K4- Near Bhadbhada Dam Gate
K5- Kaliyasoat Ground Temple Hill Area





Kerwa Dam Sampling Point
KW1- Near Rest House
KW2- Near Village Sarotipura
KW3- Near Intake well Point
KW4- Near Village Khushalpura
KW5- Near Mullah Ji Ki Tekri

ANNEXURE R-9 (colly)

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL.
Water Quality during Year - 2022-23
Natural Water Resource: Kaliyasoat Reservoir, Bhopal
Date of sampling : 23/11/2023

Description of Sampling Points: 1. Near Dam Line 2. Near 13th Gate 3. Near Mother Bullfarm Road 4. Near Bhadbhada Gate 5. Near Ground Temple Hill Area

S.No.	Parameters	Unit	Results of Sampling Points				
			Near Dam Line	Near 13th Gate	Near Mother Bullfarm Road	Near Bhadbhada Gate	Near Ground Temple Hill Area
1	Appearance	-	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
2	Temperature	oC	22	23	22	23	22
3	Turbidity	NTU	0.9	0.4	1.4	0.4	0.6
4	Colour	PCS/HAZENS	20	20	30	20	30
5	Odour	-	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed
6	pH	pH Unit	8.13	7.82	8.11	7.62	8.04
7	Sp. Conductivity	µMhos/cm.	281.9	273.3	267	305.4	286.1
8	T. Solids	mg/l	208	198	206	200	180
9	D. Solids	mg/l	192	180	184	196	174
10	S. Solids	mg/l	16	18	22	4	6
11	Amm. Nitrogen	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
12	Nitrite Nitrogen	mg/l	0.3	BDL	0.04	BDL	0.09
13	Nitrate Nitrogen	mg/l	1.41	3.49	2.1	4.46	1.41
14	Phosphate (PO ₄)	mg/l	0.03	0.14	0.04	0.5	0.24
15	Chloride	mg/l	14.78	19.71	10.84	19.71	19.71
16	Sulphate (SO ₄)	mg/l	4.54	9.19	19.08	12.67	4.29
17	T. Alkalinity	mg/l	102	106	110	110	114
18	T. Hardness	mg/l	102	102	110	102	102
19	CalciumHardness	mg/l	80	74	80	76	68
20	Magnesium H.	mg/l	22	28	30	26	34
21	D. Oxygen	mg/l	6.4	7.1	7.5	8	7.4
22	B.O.D.	mg/l	0.9	1.1	0.6	2.4	1.8
23	C.O.D.	mg/l	9.6	9.6	9.6	19.2	19.2
24	Sodium	mg/l	2.83	10.5	6.55	13.53	10.46
25	Potassium	mg/l	2.63	2.86	1.52	3.2	3
26	Total Coliform	MPN/100ml	120	<1.8	9.3	<1.8	<1.8
27	TKN	mg/l	1.4	1.4	1.4	1.40	1.4
28	Calcium	mg/l	32.03	29.63	32.03	30.43	27.23
29	Magnesium	mg/l	5.34	6.79	7.28	6.31	8.25
30	Fixed Dissolved Solid	mg/l	108	98	102	108	98
31	SAR	-	0.12	0.45	0.26	0.58	0.45
32	P.Alkalinity	mg/l	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
33	Boron	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
34	Flouride	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
Category			B	A	A	B	A

Remark: Category as per CPCB Designated Best Use Water Quality Criteria
 Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL.

Water Quality during Year - 2022-23

Natural Water Resource : Kaliyasoat Reservoir, Bhopal

Date of sampling : 19/12/2023

Description of Sampling Points: 1. Near Dam Line 2. Near 13th Gate 3. Near Mother Bullfarm Road 4. Near Bhadbhada Gate 5. Near Ground Temple Hill Area		Results of Sampling Points					
S.No.	Parameters	Unit	Near Ground Temple Hill Area				
			Near Dam Line	Near 13th Gate	Near Mother Bullfarm Road	Near Bhadbhada Gate	Near Ground Temple Hill Area
1	Appearance	-	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
2	Temperature	°C	19	18	18	19	18
3	Turbidity	NTU	0.6	0.6	0.6	0.9	1.1
4	Colour	PCSHAZENS	20	20	20	20	30
5	Odour	-	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed
6	pH	pH Unit	7.38	7.45	7.63	7.82	7.88
7	Sp. Conductivity	µMhos/cm.	227.6	224.4	226.6	220.3	222.7
8	T. Solids	mg/l	174	172	172	170	180
9	D. Solids	mg/l	164	160	164	158	162
10	S. Solids	mg/l	10	12	8	12	18
11	Amm. Nitrogen	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
12	Nitrite Nitrogen	mg/l	0.15	0.16	0.1	0.07	0.1
13	Nitrate Nitrogen	mg/l	3.35	3.02	0.29	3.61	2.36
14	Phosphate (PO ₄)	mg/l	0.28	0.18	0.2	0.28	0.22
15	Chloride	mg/l	18.18	20.1	21.05	20.1	20.1
16	Sulphate (SO ₄)	mg/l	9.02	7.81	6.7	4.63	6.99
17	T. Alkalinity	mg/l	102	110	118	110	106
18	T. Hardness	mg/l	106	112	120	116	108
19	Calcium Hardness	mg/l	80	80	74	86	76
20	Magnesium H.	mg/l	26	32	46	30	32
21	D. Oxygen	mg/l	5.9	5.2	5.8	6.1	6.2
22	B.O.D.	mg/l	0.9	0.7	0.8	1.1	1
23	C.O.D.	mg/l	9.8	9.8	9.8	19.6	19.6
24	Sodium	mg/l	10.04	10.3	10.12	13.43	9.05
25	Potassium	mg/l	2.25	2.3	2.19	2.26	2.24
26	Total Coliform	MPN/100ml	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8
27	Fecal Coliform	MPN/100ml	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8
28	Streptococci	MPN/100ml	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8
29	TKN	mg/l	1.4	1.4	1.4	1.40	1.4
30	Calcium	mg/l	32.03	32.03	29.63	34.44	30.43
31	Magnesium	mg/l	6.31	7.77	11.17	7.28	7.77
32	Fixed Dissolved Solid	mg/l	98	98	96	90	96
33	SAR	-	0.42	0.41	0.4	0.54	0.37
34	P-Alkalinity	mg/l	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
35	Boron	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
36	Flouride	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
Category			B	B	B	A	A

Remark: Category as per CPCB Designated Best Use Water Quality Criteria

Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL.

Water Quality during Year - 2022-23

Natural Water Resource: Kaliyasoat Reservoir, Bhopal

Pesticides/ Insecticides Analysis Result

Date of Sampling: 23.11.2023

Description of Sampling Points: 1. Near Dam Line 2. Near 13th Gate 3. Near Mother Bullfarm Road 4. Near Bhadbhada Gate 5. Near Ground Temple Hill Area

S.No.	Parameters	Unit	Results of Sampling Points				
			Near Dam Line	Near 13th Gate	Near Mother Bullfarm Road	Near Bhadbhada Gate	Near Ground Temple Hill Area
1	Aldrin	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND
2	α-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND
3	β-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND
4	γ-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND
5	DDT	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND
6	Di-eldrin	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND
7	Chloropyriphos	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND
8	DDD	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND
9	DDE	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND
10	Methyl Parathion	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND

Remark:- ND- Not Detectable.

Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL. Water Quality during Year - 2022-23 Natural Water Resource: Kaliyasoat Reservoir, Bhopal Pesticides/ Insecticides Analysis Result Date of Sampling: 19.12.2023									
Description of Sampling Points: 1. Near Dam Line 2. Near 13th Gate 3. Near Mother Bullfarm Road 4. Near Bhadbhada Gate 5. Near Ground Temple Hill Area									
S.No.	Parameters	Unit	Results of Sampling Points						
			Near Dam Line	Near 13th Gate	Near Mother Bullfarm Road	Near Bhadbhada Gate	Near Ground Temple Hill Area		
1	Aldrin	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	α-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	β-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	γ-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	DDT	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	Di-eldrin	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	Chloropyriphos	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	DDD	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	DDE	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	Methyl Parathion	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Remark:- ND- Not Detectable.

Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL.

Water Quality during Year - 2022-23

Natural Water Resource: Kaliyasoat Reservoir, Bhopal

Heavy Metals Analysis Result

Date of Sampling: 19.12.2023

Description of Sampling Points: 1. Near Dam Line 2. Near 13th Gate 3. Near Mother Bullfarm Road 4. Near Bhadbhada Gate 5. Near Ground Temple Hill Area

S.No.	Parameters	Unit	Results of Sampling Points				
			Near Dam line	Near 13th Gate	Near Mother Bullfarm Road	Near Bhadbhada Gate	Near Ground Temple Hill Area
1	Copper	mg/l	BDL	BDL	0.021	BDL	BDL
2	Zinc	mg/l	0.02	0.018	0.020	0.023	0.018
3	Manganese	mg/l	0.50	0.090	0.070	0.150	0.110
4	Iron	mg/l	0.37	0.100	0.240	0.190	0.160
5	Lead	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
6	Nickle	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
7	Chromium	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
8	Cadmium	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
9	Cobalt	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
10	Selenium	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
11	Mercury	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND

Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL.									
Water Quality during Year - 2022-23									
Natural Water Resource: Kerwa Reservoir, Bhopal									
Date of Sampling: 23.11.2023									
Description of Sampling Points: 1. Near Rest House 2. Near Village Sarotipura 3. Near Intake Well Point 4. Near Village Kushalpara 5. Near Mullah Ji Ki Tekri									
S.No.	Parameters	Unit	Results of Sampling Points					Near Mullah Ji Ki Tekri	
			Near Rest House	Near Village Sarotipura	Near Intake Well Point	Near Village Kushalpara	Near Mullah Ji Ki Tekri		
1	Appearance	-	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	
2	Temperature	oC	23	24	22	22	22	23	
3	Turbidity	NTU	1.2	1.6	1.2	0.9	0.9	1.1	
4	Colour	PCSHAZENS	20	30	20	30	30	30	
5	Odour	-	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	
6	pH	pH Unit	7.93	8.19	8.23	8.17	8.17	8.24	
7	Sp. Conductivity	µMhos/cm.	299.3	269.1	267.9	304.2	304.2	286.4	
8	T. Solids	mg/l	220	182	214	192	192	180	
9	D. Solids	mg/l	198	162	196	170	170	164	
10	S. Solids	mg/l	22	20	18	22	22	16	
11	Amm. Nitrogen	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	
12	Nitrite Nitrogen	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	
13	Nitrate Nitrogen	mg/l	3.19	2.1	3.22	1.78	1.78	2.09	
14	Phosphate (PO ₄)	mg/l	0.13	0.13	0.37	0.16	0.16	0.12	
15	Chloride	mg/l	17.73	12.81	13.79	16.75	16.75	14.78	
16	Sulphate (SO ₄)	mg/l	10.03	11.66	16.88	14.33	14.33	13.39	
17	T. Alkalinity	mg/l	108	114	112	108	108	120	
18	T. Hardness	mg/l	98	112	114	110	110	122	
19	Calcium Hardness	mg/l	74	78	98	88	88	82	
20	Magnesium H.	mg/l	24	34	16	22	22	40	
21	D. Oxygen	mg/l	6.2	7.6	7.7	6.6	6.6	7.9	
22	B.O.D.	mg/l	1.1	1.2	2.4	1.1	1.1	0.9	
23	C.O.D.	mg/l	9.6	9.6	19.2	9.6	9.6	9.6	
24	Sodium	mg/l	10.48	5.26	6.84	8.14	8.14	4.83	
25	Potassium	mg/l	3.85	1.42	1.61	1.75	1.75	1.63	
26	Total Coliform	MPN/100ml	110	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	
27	TKN	mg/l	1.4	1.4	1.4	1.40	1.40	1.4	
28	Calcium	mg/l	29.63	31.23	39.24	35.24	35.24	32.83	
29	Magnesium	mg/l	5.82	8.25	3.88	5.34	5.34	9.71	
30	Fixed Dissolved Solid	mg/l	98	96	94	98	98	96	
31	SAR	-	0.45	0.2	0.27	0.25	0.25	0.19	
32	P-Alkalinity	mg/l	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
33	Boron	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	
34	Flouride	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	
	Category		B	A	B	A	A	A	

Remark: Category as per CPCB Designated Best Use Water Quality Criteria

Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL.

Water Quality during Year - 2022-23

Natural Water Resource: Kerwa Reservoir, Bhopal

Date of Sampling: 18.12.2023

Description of Sampling Points: 1. Near Rest House 2. Near Village Sarotipura 3. Near Intake Well Point 4. Near Village Kushalपुरा 5. Near Mullah Ji Ki Tekri

S.No.	Parameters	Unit	Results of Sampling Points					
			Near Rest House	Near Village Sarotipura	Near Intake Well Point	Near Village Kushalपुरा	Near Mullah Ji Ki Tekri	
1	Appearance	-	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	
2	Temperature	oC	22	21	22	21	23	
3	Turbidity	NTU	3.6	3.8	3.8	3.8	3	
4	Colour	PCS/HAZENS	20	20	20	20	30	
5	Odour	-	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	No Odour Observed	
6	pH	pH Unit	7.41	7.77	7.92	8.02	8.05	
7	Sp. Conductivity	µMhos/cm.	227	224.6	225.4	226.4	223.2	
8	T. Solids	mg/l	172	168	170	164	160	
9	D. Solids	mg/l	162	160	158	154	148	
10	S. Solids	mg/l	10	8	12	10	12	
11	Amm. Nitrogen	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	
12	Nitrite Nitrogen	mg/l	0.03	0.06	0.03	0.05	0.23	
13	Nitrate Nitrogen	mg/l	2.38	1.89	1.89	1.83	1.67	
14	Phosphate (PO ₄)	mg/l	0.07	0.02	BDL	0.14	0.11	
15	Chloride	mg/l	13.4	13.4	13.4	15.31	15.31	
16	Sulphate (SO ₄)	mg/l	12.49	12.73	13.04	13.33	14.29	
17	T. Alkalinity	mg/l	116	110	106	110	106	
18	T. Hardness	mg/l	122	118	114	118	118	
19	Calcium Hardness	mg/l	86	78	84	90	98	
20	Magnesium H.	mg/l	36	40	30	28	20	
21	D. Oxygen	mg/l	6.8	6.7	5.7	6.5	5.5	
22	B.O.D.	mg/l	0.7	1.1	1.2	0.8	1.2	
23	C.O.D.	mg/l	9.52	9.52	19.04	9.52	19.04	
24	Sodium	mg/l	2.84	2.05	3.07	3.88	3.02	
25	Potassium	mg/l	0.73	0.82	0.71	0.8	0.78	
26	Total Coliform	MPN/100ml	<1.8	4	11	<1.8	<1.8	
27	Fecal Coliform	MPN/100ml	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	
28	Streptococci	MPN/100ml	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	
29	TKN	mg/l	1.4	1.4	1.4	1.40	1.4	
30	Calcium	mg/l	34.44	31.23	33.64	36.04	39.24	
31	Magnesium	mg/l	8.74	9.71	7.28	6.79	4.85	
32	Fixed Dissolved Solid	mg/l	98	96	90	92	88	
33	SAR	-	0.12	0.08	0.14	0.16	0.13	
34	P. Alkalinity	mg/l	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	
35	Boron	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	
36	Flouride	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	
Category			A	A	B	A	B	

Remark: Category as per CPCB Designated Best Use Water Quality Criteria

Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL.

Water Quality during Year - 2022-23

Natural Water Resource: Kerwa Reservoir, Bhopal

Pesticides/Insecticide Analysis Result

Date of Sampling: 23.11.2023

Description of Sampling Points: 1. Near Rest House 2. Near Village Sarotipura 3. Near Intake Well Point 4. Near Village Kushalpara 5. Near Mullah Ji Ki Tekri

S.No.	Parameters	Unit	Results of Sampling Points					
			Near Rest House	Near Village Sarotipura	Near Intake Well Point	Near Village Kushalpara	Near Mullah Ji Ki Tekri	
1	Aldrin	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	
2	α-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	
3	β-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	
4	γ-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	
5	DDT	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	
6	Di-eldrin	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	
7	Chloropyriphos	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	
8	DDD	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	
9	DDE	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	
10	Methyl Parathion	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	

Remark:- ND- Not Detectable.

Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL. Water Quality during Year - 2022-23 Natural Water Resource: Kerwa Reservoir, Bhopal Pesticides/Insecticide Analysis Result Date of Sampling: 18.12.2023									
Description of Sampling Points: 1. Near Rest House 2. Near Village Sarotipura 3. Near Intake Well Point 4. Near Village Kushalपुरा 5. Near Mullah Ji Ki Tekri									
S.No.	Parameters	Unit	Results of Sampling Points						
			Near Rest House	Near Village Sarotipura	Near Intake Well Point	Near Village Kushalपुरा	Near Mullah Ji Ki Tekri		
1	Aldrin	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	α-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	β-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	γ-BHC	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	DDT	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	Di-eldrin	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	Chloropyrifos	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
8	DDD	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
9	DDE	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
10	Methyl Parathion	µg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Remark:- ND- Not Detectable.									

Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

REGIONAL OFFICE, MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL.

Water Quality during Year - 2022-23

Natural Water Resource: Kerwa Reservoir, Bhopal

Heavy Metals Analysis Result

Date of Sampling: 18.12.2023

Description of Sampling Points: 1. Near Rest House 2. Near Village Sarotipura 3. Near Intake Well Point 4. Near Village Kushalपुरा 5. Near Mullah Ji Ki Tekri

S.No.	Parameters	Unit	Results of Sampling Points				
			Near Rest House	Near Village Sarotipura	Near Intake Well Point	Near Village Kushalपुरा	Near Mullah Ji Ki Tekri
1	Copper	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
2	Zinc	mg/l	BDL	0.012	0.008	0.015	0.015
3	Manganese	mg/l	0.12	0.10	0.10	0.14	0.07
4	Iron	mg/l	0.59	0.51	0.45	0.90	0.69
5	Lead	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
6	Nickle	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
7	Chromium	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
8	Cadmium	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
9	Cobalt	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
10	Selenium	mg/l	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL
11	Mercury	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND

Reply of Hon'ble NGT OA No 07/2022 & 12/2022

Water Sampling Photographs Kaliyasoat Reservoir on Dated 19.12.2023



Water Sample Of Kaliyasoat Dam Near Dam Line

Water Sample of Kaliyasoat Dam Near 13th Gate

Water Sample of Kaliyasoat Dam Near Kaliyasoat Dam to Mother Bullfarm Road



Water Sample of Kaliyasoat Dam Near Bhadbhada Dam Gate




Water Sample of Kaliyasoat Dam in front of Kaliyasoat Ground Temple Hill Area


Water Sampling Photographs Kerwa Reservoir on Dated 18.12.2023



Water Sample of Kerwa Dam Near Rest House



Water Sample of Kerwa Dam Near Village Sarotipura



Water Sample of Kerwa Dam near Intake Well Point



Water Sample of Kerwa Dam near Village Khushalpura



Water Sample of Kerwa Dam Near Mullah Ji Ki Tekri

क्रमांक- 16 /2023/32-3

भोपाल, दिनांक 08/01/2024

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वन/नगरीय विकास एवं आवास/राजस्व विभाग,
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्य प्रदेश ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
4. सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
5. कलेक्टर, भोपाल ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल ।

विषय:- एनजीटी प्रकरण (CZ) OA 07/2022 (केरवा तथा कलियासोत में अतिक्रमण एवं सीवेज ट्रीटमेंट से संबंधित) की अन्तर्विभागीय समीक्षा ।

---0---

विषयांतर्गत मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 08/01/2024 को आयोजित की गई । बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

(लोकेश कुमार जांगिड़)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पर्यावरण विभाग


**Minutes of the meeting dated 08.01.2024 chaired by Chief Secretary
in the NGT matters OA 07/2022 (CZ) & 12/2022 (CZ)**

1. An interdepartmental meeting was held under the Chairpersonship of Chief Secretary to review the progress of compliance by Government of MP in the NGT case OA 07/2022 (CZ) & 12/2022 (CZ) '*Dr. Subhash C Pandey Vs. State of Madhya Pradesh & Ors.*' pursuant to NGT order dated 20.10.2023 in the matter. List of attendees is as per Annexure-I.
2. Principal Secretary Environment briefed the Chief Secretary about the developments in the case so far. During the last hearing in the matter on 20.10.2023, the applicant had raised queries on some of the discrepancies in the Action Taken Report submitted by Govt of MP on 14.09.2023 vis-a-vis the previous report dated 30.10.2022. A detailed presentation (Annexure II) was made regarding the discrepancies and the responses by the concerned departments.
3. On the issue of encroachments, Collector Bhopal briefed that out of the total 96 encroachments/ illegal structures identified at Kaliasot, 84 encroachments were on government land and 12 illegal structures were found on private land. Notices have been issued by BMC in private land cases whereas the Tehsildar has registered cases for encroachment on government land under MP Land Revenue Code. It was pointed out that due to human error 11 illegal structures were misreported as 12. Out of the 11 illegal structures, 3 have been demolished, 1 was self removed and rest 7 have obtained stay order from High Court. Similarly, 33 encroachments / illegal constructions were found at Kerwa on government land, out of which notices to 18 have been issued by Tehsildar and notices to 15 were given by concerning panchayat as per the provisions of law. It was informed that notices were not issued to persons who have not constructed structures of permanent nature in the buffer area. Hence the objections that have been raised by the applicant in this regard are not well-founded. Chief Secretary instructed that the encroachments be removed as per the law within a time-frame as directed by Hon'ble NGT.
4. Principal Secretary Urban Development and Housing briefed that as per the provisions of the the Bhopal Development Plan 2005, 150-hectare land is to be reserved for the

purpose of Botanical Garden / Regional Park in addition to 33 meter green belt from the edge of the reservoir. The overall provision of Botanical Garden/Regional Park land use is provided around the Kaliyasot and Kerwa reservoir in the land use map of Bhopal Development Plan 2005.

5. On sewage treatment, it was briefed that out of the total 1.25 MLD of untreated sewerage flowing into the Kaliyasot reservoir, 0.60 MLD untreated sewerage has already been connected with the existing sewerage network in October 2023. For remaining 0.65 MLD untreated sewerage, second call of Tender for 2 STPs (tender value of 3 cr) was opened on 20.12.2023 and Letter of Acceptance has been issued to the L1 bidder on 02.01.2024. The work is expected to be completed within 3 months from the date of issue of work order. CEO Zila Panchayat Bhopal informed that in Mandora village, construction of 02 DEWATS is under tender process while in Mendori village, construction of 10 leach pits and 01 DEWATS is under progress. In Kushalpura village 02 soak pits/end point structures for sewage discharge has been constructed. Chief Secretary directed that the timeline be strictly adhered to.
6. Officers from forest department presented that around Kerwa reservoir an area of 6 ha. has been identified for plantation activity. Similarly, around Kaliyasot reservoir an area of 6.3 ha. has been identified for plantation activity.
7. Principal Secretary Water Resource Department briefed that based on the more scientific & detailed recent survey conducted, the submerged area of the Kaliyasot Dam is 529.68 ha. and Kerwa Dam is 462.15 ha. It was also submitted that pursuant to NGT directions, a decision for installation of more number of pillars/ munaras at Kaliyasote and Kerwa reservoirs has been taken by the department and accordingly the work of installation of 679 and 1080 pillars at Kaliyasot & Kerwa reservoirs respectively has been completed and report also been submitted to Hon'ble NGT.
8. Member Secretary MPPCB presented that water quality of reservoirs now is conducted on more regular frequency. Now monthly water quality monitoring of Kalisot and Kerwa Reservoir is being performed on 5 sampling stations since November 2023. Parameters like pesticide, insecticides, MPN and SAR are also monitored. Establishment of treatment systems in Mandora, Mandori and Kushalpura villages is expected to improve the water quality.

9. Chief Secretary took stock of the actions taken by all the departments and instructed that speedy action as per the orders of Hon. NGT be undertaken by the concerned departments.
10. The meeting was closed with vote of thanks to the chair.


(Gulshan Bamra)
Principal Secretary
Government of Madhya Pradesh
Environment Department

Annexure I

The meeting was attended by the following officers:

1. Sh JN Kansotiya, Additional Chief Secretary, Forest Department
2. Sh Abhay Kumar Patil, Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force
3. Sh Neeraj Mandloi, Principal Secretary, Urban Administration and Housing Department
4. Sh Nikunj Srivastava, Principal Secretary, Revenue Department
5. Sh Gulshan Bamra, Principal Secretary, Environment Department
6. Sh Aseem Shrivastava, Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife)
7. Sh Bharat Yadav, Commissioner, Directorate of Urban Administration and Development
8. Sh Chandra Mohan Thakur, Member Secretary Madhya Pradesh Pollution Control Board
9. Sh Lokesh Kumar Jangid, Deputy Secretary, Environment Department
10. Sh Ritu Raj, CEO Zila Panchayat Bhopal
11. Sh Neeraj Likhar, Chief City Planner, Bhopal Municipal Corporation
12. Sh Nitin Kuhikar, Executive Engineer Bhopal, Water Resources Department

Ann.II



Government of Madhya Pradesh
Meeting with Chief Secretary on 08.01.2024 (11 am)

Status of compliance of Hon'ble N.G.T. order dated 20/10/2023 in
O.A. No. 07 / 2022 (CZ) (regd. Kaliasot reservoir)
& O.A. No. 12 / 2022 (CZ) (regd. Kerwa reservoir)
Next Date of hearing: 09.01.2024

 Government of Madhya Pradesh


Directions given by NGT vide order dated 20-10-23

1. To submit para-wise reply on **discrepancies between the earlier report dated 31.10.2022 and the new report submitted by the State** regarding area of submergence, number of boundary pillars, number of encroachments, discharge of the untreated sewage, notices issued to encroachers, improper monitoring of reservoir water quality by PCB etc.
2. **Removal of encroachments** within a time frame as per law

 Government of Madhya Pradesh

Botanical Garden Area Reservation

Contention of Applicant	Reply by BMC
<p><i>Bhopal development plan 2005 mandates 150 hectare land all around the Kaliyasot and Kerwa reservoir to be kept reserved for Botanical Garden and regional garden.</i></p> <p><i>(This would be in addition to 33 meter green belt provision from the edge of reservoirs)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rule no. 2.57 of Bhopal Development Plan 2005 states that, "A site covering 150 hectares of land for Botanical garden is earmarked on areas around the Kaliyasot and the Kerwa reservoir as a part of regional park." ▪ Rule no. 4.47 (A) of Bhopal Development Plan 2005 prescribes provision of open area of 33 meter from the edge of Kerwa lake and Rule no. 4.47 (B) of Bhopal Development Plan 2005 states that, "33 meters of space from both edges of Kaliyasot river shall be kept open for plantation." ▪ Thus, the rules does not mention reserving 150 hectare land in addition to 33 meter green belt from the edge of reservoirs.



Encroachments in No Construction Zone

Contention of Applicant	Reply from BMC
<p><i>That green belt, botanical and regional garden of the Kaliasot and Kerwa reservoirs are in fact a "No Construction Zone" and the encroachments over there are causing enormous pollution of water, soil, air and noise</i></p>	<p>BMC has taken action for removal of the illegal encroachments/constructions explicitly mentioned in the letter of Sub Divisional Officer vide letter dated 09/09/2023 and letter dated 18/10/2023.</p>

Difference in Submergence Area

Contention of Applicant	Reply from WRD
<p><i>" Submergence area measured by the Old Committee and New Committee has a wide difference. Old Committee observed submergence area of Kaliasot and Kerwa reservoir to be 529.5 ha and 482 ha respectively. Whereas, New Committee observed the same to be 527.75 ha and 462.150 ha respectively for same water bodies "</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • The old report was based on available records, while the new report is based on a survey conducted again with GPS. • According to the new survey carried out by WRD & Revenue, the acquired submerged area of the Kaliasot Dam is 529.68 ha. (out of which 492.853 ha. is land coming under submergence at FRL and additional land of 36.827 ha. was acquired for development of fisheries, plantation, other activities) • For Kerwa Dam the submergence at FRL is 462.15 ha.

Boundary Pillars for Demarcation of FTL

Contention of Applicant	Reply from WRD
<p><i>Old Committee stated that they have no provision for providing fencing and pile foundation around the submergence area of the water bodies. On the other hand, the New Committee on the same situation has found out the solution and recommended installation of 679 and 1080 pillars at Kaliasot and Kerwa reservoirs respectively for demarcation of their FTL areas.</i></p>	<p>In compliance of Hon'ble NGT Order, decision for installation of pillars at Kaliasot and Kerwa reservoirs was taken by the Govt.</p> <p>Accordingly work of installation of 679 and 1080 pillars at Kaliasot & Kerwa reservoirs respectively, has been completed and report also been submitted.</p>

Difference in no. of encroachments identified

Contention of Applicant	Reply from Revenue
<p><i>The Old Committee did not find any encroachment at Kaliasot reservoir whereas 33 hutments and a school were found within buffer zone of Kerwa reservoir. On the other hand, New Committee was able to observe a total number of 96 encroachments/ structures over the Kaliasot reservoir and 33 encroachments/ structures over the Kerwa reservoir</i></p>	<p>New committee identified encroachments on the basis of FTL data and map provided by WRD. On the basis of FTL data, pillars were erected by WRD, after which the revenue team measured 33 meter buffer area and correspondingly new encroachment / illegal structures were found.</p>

Discrepancy in Untreated Sewage Inflow

Contention of Applicant	Reply from BMC
<p><i>Old Committee did not find any untreated sewage inflow into the Kaliasot and Kerwa reservoirs. On the other hand, the New Committee identified 4 fall points wherein 1.25 MLD of untreated sewage was observed directly flowing into the Kaliasot reservoir. Similarly, around 50 KLD wastewater was found to be directly flowing into Kerwa at Mindora village, and around 33 KLD and 15 KLD of waste water was are also found to be discharging into the Kerwa reservoir at Mindori village and Kushalpura village simultaneously. Therefore, total untreated wastewater discharging into Kerwa reservoir is observed to be 78 KLD.</i></p>	<p>Out of 1.25 MLD of untreated sewerage flowing into the Kaliasot reservoir, 0.60 MLD untreated sewerage has been connected with the existing sewerage network.</p> <p>Tender for 2 STPs (tender value of 3 Cr) proposed to treat the remaining 0.65 MLD untreated sewerage was issued on 18/09/2023. Due to no bidders in the first call, the second call for the tender was issued on 29/11/2023. The tender was opened on 20/12/2023 and Letter of Acceptance has been issued to the L1 on 02/01/2024. The work is expected to be completed within 3 months.</p>

Discrepancy in Untreated Sewage Inflow (contd...)

Contention of Applicant	Reply from Jila Panchayat
<p><i>Old Committee did not find any untreated sewage inflow into the Kaliasot and Kerwa reservoirs. On the other hand, the New Committee identified 4 fall points wherein 1.25 MLD of untreated sewage was observed directly flowing into the Kaliasot reservoir. Similarly, around 50 KLD wastewater was found to be directly flowing into Kerwa at Mindora village, and around 33 KLD and 15 KLD of waste water was are also found to be discharging into the Kerwa reservoir at Mindori village and Kushalpura village simultaneously. Therefore, total untreated wastewater discharging into Kerwa reservoir is observed to be 78 KLD.</i></p>	<p>1- An approval has been given to construction of 02 DEWATS structures for systematic disposal of grey water in Mendora village. Rural Engineering Service (RES) has been appointed as the construction agency. Tender process of the work is ongoing, after completion of tender process work will be started.</p> <p>2- In Mendori village, sanction of 10 leach pits and 01 DEWATS structure for disposal of grey water has been given from PRD Department. Work is ongoing at site.</p> <p>3- In Kushalpura village 02 soak pits/end point discharge structure is constructed for systematic disposal of grey water.</p>

Encroachments on Government Land

Contention of Applicant	Reply from Revenue
<p>84 encroachers were found on Government Land, but so far not even a single notice was issued to any of them.</p>	<p>84 encroachers were found on government land in villages Barkhedhi Kala, Chandanpura, Chhavni , Singhpur and Sewaniya Gond. Village-wise cases were registered under MP Land Revenue Code and notices issued to 82 encroachers.</p> <p><i>(In addition 2 Govt structures were found - Govt nursery chowkidar's room and partial construction of Govt school - for which Collector Bhopal has written to concerned depts. for removing the said structures)</i></p>

Ambiguity in the list of encroachers

Contention of Applicant	Reply from Revenue
<p><i>“ iv. In that way, there is an ambiguity in the list of private encroachers given on page 69 and page 70 of Annexure- 8, hence if true, the total private encroachers would be 13 as per the list and not 12 as stated.</i></p> <p><i>v. Therefore, out of the 97 encroachments over Kaliasot reservoir, 86 encroachments were not given notices. “</i></p>	<p>iv. Total 11 illegal structures were found on private land which were mis reported as 12 previously</p> <p>v. Notices were issued to all 95 encroachers / illegal construction owners (84 on Govt. land and 11 on private land) by SDM and BMC, and action is being taken in accordance with law.</p>

Format used by BMC for Notices

Contention of Applicant	Reply from BMC
<p><i>"In the notices issued, the BMC has committed serious lapses. Subject and reference written are wrong, controversial or objectionable. Due to the incorrect notices sent by the BMC, it is not clear whether the work claimed to have been done by BMC in the present matter really relates to Kaliasot Reservoir. "</i></p>	<p>BMC has issued final notices on 21/09/2023 under MP Municipal Corporation Act 1956 for removal of the illegal constructions wherein it is explicitly mentioned that the notices were issued in pursuance of the letter dated 09/09/2023 issued by Sub Divisional Officer in furtherance of the directions passed by NGT meaning thereby the said notices were issued in compliance of the order passed by the Hon'ble Tribunal in the present matter.</p>

On Water Analysis Report by MP PCB

Contention of Applicant	Reply from MPPCB
<p><i>Report submitted by MP PCB is incomplete and misleading for Kaliasot reservoir.</i></p> <p><i>i. It is wrongly stated that water analysis report for last 4 years 2020- 2023 is annexed. In fact, casual (not regular) analysis report for year 2016 -17, 2021- 22, 2022- 23 and 2023- 24 (April to July 2023) are annexed.</i></p> <p><i>ii. Very casual approach was adopted by the MPPCB to establish the water quality. No sampling station name is mentioned in the report of year 2016- 17 and year 2021- 22.</i></p>	<p>i. It is submitted that previously the monitoring was not conducted on regular frequency. Monthly water quality monitoring of Kalisot Reservoir is being done since April 2022</p> <p>ii. Water quality has been compared with Designated Best Use of Water Quality Criteria of CPCB. Now 5 Sampling stations are defined and monthly monitoring is being conducted since November 2023. GPS location map is attached.</p>

Water Quality Monitoring by MP PCB

Contention of Applicant	Reply required from MPPCB
<p>iii. Only one sampling station was chosen to justify water quality of a huge water body having submergence area of 529.5 ha. At least 5 sampling stations with respect to point sources be taken in consideration to ascertain water quality of Kaliasot reservoir.</p> <p>iv. Regular monthly monitoring of the reservoir including other important parameters viz. phenols, anionic detergents, PAH, pesticides, insecticides and SAR should also be taken.</p> <p>v. Aquatic biodiversity (phytoplankton and zooplankton) should also be addressed for establishment of actual water quality standard of Kaliasot reservoir.</p>	<p>iii. Water quality monitoring of Kaliasot reservoir is collected from 05 different location from Nov 2023 onwards. The GPS location map & water quality reports are enclosed.</p> <p>iv. Now pesticides, insecticides, MPN and SAR are also monitored as per need.</p> <p>v. The water quality analysis is performed as per the protocol of CPCB-NWMP guideline 2017 in which the mentioned standards for aquatic biodiversity are not given.</p>

Encroachment Removal by District Administration / BMC

Contention of Applicant	Reply from District Admin. / BMC
<p>Removal of encroachment within a time frame according to law.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BMC has given notices to all the 11 private encroachers out of which 07 encroachers have obtained Stay from Hon'ble High Court, 3 have self demolished and 1 encroacher has filed representation before the High level Committee. ▪ Revenue authorities have registered cases and proceeding as per MPLRC.